

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03

विषय सूची		
	कांडिका	पृष्ठ
प्रावकथन	..	v
कार्यपालिका सारांश	..	vii
प्रथम अध्याय : विहगांवलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलु उत्पाद	1.1.1	1
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहगांवलोकन	1.4	4
बजटीय प्रक्रियाएँ	1.5	6
वित्त का आशुचित्र	1.5.1	7
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.5.2	8
राजकोषीय संतुलन घाटे और ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	8
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.6.1	9
मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण	1.6.2	10
घाटा / आधिक्य	1.6.3	10
घाटा / आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.6.4	11
लेखापरीक्षा के पश्चात् घाटे	1.6.5	12
द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	13
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	13
राज्य के संसाधन	2.3	15
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	15
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	16
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	16
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	17
स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	18
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2.3.3.2	19
करेतर राजस्व	2.3.3.3	20
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	2.3.3.4	20
भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.3.5	21
चौदहवे वित्त आयोग अनुदान	2.3.3.6	21
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3.7	22
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	23
संसाधनों का उपयोग	2.4	23
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	23
राजस्व व्यय	2.4.2	25
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	26
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	27
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अल्पनिर्धारित देयता	2.4.2.3	28

	कंडिका	पृष्ठ
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए शासन के अंशदान की राशि व्यक्तिगत जमा खाते में रखना	2.4.2.4	29
सब्सिडी	2.4.2.5	29
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहयता	2.4.2.6	29
पूँजीगत व्यय	2.4.3	30
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	31
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	32
कंपनियों, निगमों और निकायों में निवेश की गुणवत्ता	2.4.3.2.1	32
निवेश और वापसी	2.4.3.2.2	32
राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम	2.4.3.2.3	33
अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरुद्ध	2.4.3.3	33
व्यय प्राथमिकताएँ	2.4.4	34
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	35
लोक लेखा	2.5	35
शुद्ध लोक लेखा	2.5.1	35
आरक्षित निधि	2.5.2	36
संचित निक्षेप निधि	2.5.3	37
राज्य आपदा राहत निधि	2.5.4	37
प्रत्याभूति मोचन	2.5.5	38
ऋण प्रबंधन	2.6	38
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	38
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्त पोषण संरचना	2.6.2	40
ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	41
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	42
राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता	2.7.1	42
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	43
प्रत्याभूति (गारंटी) की स्थिति-आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	44
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.4	44
निष्कर्ष	2.8	46
अनुशंसाएँ	2.9	46
तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	47
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	47
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	48
जेण्डर बजट	3.3.1	48
युवा बजट	3.3.2	48
कृषि बजट	3.3.3	49
मुख्य नीतिगत पहल / नई योजनाएँ	3.3.4	49
विनियोग लेखा	3.4	49
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	49
बजटीय निधि का उप-युक्ततम उपयोग	3.4.2	50
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	51
विधि के प्राधिकार के बिना व्यय	3.5.1	51

	कंडिका	पृष्ठ
राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.5.2	51
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.3	52
अनावश्यक एवं अत्याधिक पुनिविर्नियोग	3.5.4	53
उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.5	54
बृहद बचत / समर्पण	3.5.6	54
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध / अपूर्ण व्याख्या	3.5.7	55
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.8	56
व्यय की अतिवेग	3.6	58
उप-शीर्ष योजनाएँ जहाँ मार्च 2020 में पूरा व्यय किया गया था	3.6.1	58
चयनित अनुदान की समीक्षा	3.7	59
अनुदान संख्या 13-कृषि	3.7.1	59
बजट और व्यय	3.7.2	59
बचत का समर्पण	3.7.3	60
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान और योजनाओं के अंतर्गत समर्पण	3.7.4	60
योजना शीर्षों के अंतर्गत सतत बचत	3.7.5	61
वर्ष 2019–20 के दौरान सम्पूर्ण बजट प्रावधान की बचत	3.7.6	62
निष्कर्ष	3.8	62
अनुशंसाएँ	3.9	63
चतुर्थ अध्याय : लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	65
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब	4.2	65
सहायता अनुदानों की राशि को शासकीय लेखों से बाहर रखना	4.2.1	66
लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	4.3	68
लेखाओं के सामयिकता एवं गुण	4.4	69
उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष	4.5	69
व्यक्तिगत जमा खाते	4.6	70
व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि	4.6.1	71
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	4.6.2	72
केन्द्रीय सङ्क निधि से संबंधित लेन-देन के लेखाएँ	4.7	72
राज्य के संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखे गये निधि	4.8	72
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	4.8.1	72
लघु शीर्ष –800 में समायोजन	4.9	74
रायल्टी का अनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाना	4.9.1	75
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.10	76
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	77
भारत सरकार के लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन	4.12	77
स्वायत्त निकायों के लेखा / पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति	4.13	78
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	4.14	79
हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन	4.15	79
ऑफ बजट उधार	4.16	80
लेखापरीक्षा के बाद देयताएँ	4.16.1	81
राज्य वित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	4.17	82

परिशिष्ट का नाम	कंडिका	पृष्ठ
निष्कर्ष	4.18	82
अनुशंसाएं	4.19	82
राज्य का रूपरेखा	1.1	85
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	86
वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	89
वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	90
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ	3.3	92
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	93
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	95
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	97
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	99
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	100
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	102
वर्ष 2000–01 से 2018–19 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	105
वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ है	3.11	106
उप-शीर्ष (योजना), जहाँ पूरा व्यय मार्च 2020 में किया गया	3.12	107
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	4.1	110
31 जनवरी 2020 तक की लंबित विस्तृत आकर्षिक देयकों का विवरण	4.2	111
लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	4.3	112
लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	4.4	112
राज्य सरकार द्वारा 01 अक्टूबर 2020 के अनुसार लंबित लेखे वाले सार्वजनिक उपकरणों द्वारा निवेश	4.5	113
चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	4.6	114
31 मार्च 2020 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण	4.7	115
वर्ष 2019–20 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली	4.8	117

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. प्रतिवेदन के अध्याय-1 में राज्य वित्त लेखाओं के आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में रुझान जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय आधिशेष/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार शमिल पथ शामिल है।
3. अध्याय-2 एवं 3 में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।
4. अध्याय-4-'लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता' में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।
5. निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यपालिका सारांश

कार्यपालिका सारांश

1. प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.1 राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है—राजस्व घटा/आधिक्य, राजकोषीय घटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।

मुख्य मापदंडों के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय स्थिति में गिरावट हुई है। वर्ष 2019 की समाप्ति पर ₹683.76 करोड़ के सुगठित राजस्व आधिक्य से वर्ष 2020 की समाप्ति पर राज्य को ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घटा हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (5.46 प्रतिशत) के सापेक्ष में राजकोषीय घटा चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत निर्धारित 3.50 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.91 प्रतिशत था जोकि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2016 द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य 21.23 प्रतिशत से अधिक था।

यद्यपि छत्तीसगढ़ ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उच्च दर से वृद्धि दर्ज की, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की गयी थी। वर्ष 2019–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्यतः तीनों क्षेत्र—कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर क्रमशः 15.77 प्रतिशत, 8.49 प्रतिशत तथा 10.98 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में क्रमशः 12.10 प्रतिशत, 5.51 प्रतिशत तथ 9.35 प्रतिशत की कमी के कारण हुई।

छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रमुख योगदान उद्योग क्षेत्र था, जबकि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, का प्रमुख योगदान कारक सेवा क्षेत्र था।

(प्रथम अध्याय)

2.2 राज्य के वित्त

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.88 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व में क्रमशः 3.22 और 3.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजट अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 53 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 3.79 प्रतिशत की कमी आई।

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में ऋण पुनर्भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में भी वर्ष 2018–19 की तुलना में ₹5,217.43 करोड़ (36.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹78,712.43 करोड़ था। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।

(द्वितीय अध्याय)

2.3 बजटीय प्रबंधन

राज्य शासन का बजटीय अनुमान 2019–20 के दौरान वास्तविक नहीं था और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत बढ़ा।

चार अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹6,682.69 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। नियंत्रण अधिकारियों ने समय पर धनराशि का समर्पण नहीं किया। व्यय के आधार पर आवंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

बचत से बचने के लिये सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से जहाँ सतत् बचत होती रही और अनुपूरक अनुदान लेने से बचने के लिये जो अनुपयोगी रहे।

(तृतीय अध्याय)

2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नहीं करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ (₹3,447.19 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹976.82 करोड़) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित हुआ एवं आवटन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण भी धूमिल था।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिका एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया गया है।

(चतुर्थ अध्याय)

प्रथम अध्याय

विहंगावलोकन

प्रथम अध्याय— विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 27 जिले हैं एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो की 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान अनुसार ₹98,281, वहीं भारत के लिये ₹1,35,050 अनुमानित है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य की अर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल घरेल राज्य उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वर्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रचलित मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू राज्य उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,25,163	2,50,882	2,74,042 ^{प्रा}	3,04,063 ^{त्व}	3,29,180 ^अ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.83	11.42	9.23	10.95	8.26


(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)

अ—अग्रिम अनुमान त्व—त्वरित अनुमान प्रा—प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुए 1.83 से 11.42 प्रतिशत के मध्य रही। यद्यपि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान उच्च दर से वृद्धि हुई है लेकिन इसमें गत वर्ष के तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सभी तीन क्षेत्रों—कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर 15.77 प्रतिशत, 8.49 प्रतिशत एवं 10.98 प्रतिशत से वर्ष 2019–10 में 12.10 प्रतिशत, 5.51 प्रतिशत एवं 9.35 प्रतिशत होने के कारण हुई।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों—प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती हैं, जो की कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है।

वर्ष 2019–20 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना को चार्ट–1.1 में दर्शाया गया है।




स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र और उत्पाद कर/उत्पाद अनुदान का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।


चार्ट 1.2 यह दर्शाता है कि पाँच वर्ष की अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2015–16 में 19.00 प्रतिशत एवं 34.80 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 20.97 प्रतिशत एवं 35.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2015–16 में 41.12 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 39.04 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पाद कर और उत्पाद अनुदानों के योगदान भी वर्ष 2015–16 में 5.09 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 4.95 प्रतिशत की कमी हुई।

चार्ट–1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2015–16 से 2019–20)



स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हे राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखें को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। यह लेखें का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2019–20 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखाकान्न साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालन, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े;
- वर्ष 2015–20 के दौरान भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों।

चौदहवें वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों का संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा / आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति।
द्वितीय अध्याय	राज्य शासन के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन–देन, राज्य का वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आंवटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है।
चतुर्थ अध्याय	लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदों के कार्यप्रणालीयों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय आधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन

शासकीय लेखों को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रिय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज

वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम—काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से सम्बन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से सम्बन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि।

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भुमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश, और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल हैं।

शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।

वर्गीकरण		
कार्यक्रम विवरण		
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप- शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)


कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणीयों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहयता अनुदानों एवं योगदानों एवं इन क्षेत्रों के निचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया।

समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्ष साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधिनस्थ लघु शीर्षों शासन के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती हैं और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर

नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय खातों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय खातों की संरचना का सचित्र चित्रण



1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2019–20 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन संचित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुनीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

वर्ष 2019–20 के लिये बजट तैयार करते हुए, राज्य शासन ने पारदर्शिता में सुधार करने और अनुत्पादक क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियात्मक और नितिगत बदलाव पेश किये। इस दिशा में, इसने निम्नलिखित रणनीति को रेखांकित किया:

- (क) अनावश्यक और अल्प महत्व के शीर्षों पर व्यय में कटौती करना और राजस्व संसाधनों में वृद्धि करके राजस्व घाटे को कम करना।
- (ख) राजस्व संतुलन बनाये रखने के लिये अनुत्पादक राजस्व व्यय को कम करना। इसके अलावा, राज्य शासन परिणामी बजट, जेण्डर बजट, युवा बजट तथा कृषि बजट भी अलग से तैयार कर रही थी।

बजटीय की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन के परिणाम इसे प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2018–19 का वास्तविक वित्तीय परिणाम का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

संक्र	घटक	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (बजट अनुमान)	2019–20 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशतता	(₹ करोड़ में) वास्तविक आंकड़े स.रा.घ.उ का प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	21,427.26	22,930.00	22,117.85	96.46	6.72
2.	करेतर राजस्व	7,703.02	8,825.00	7,933.77	89.90	2.41
3.	संघीय करों / शुल्कों के अंश	23,458.69	27,917.00	20,205.84	72.38	6.14
4.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,505.96	20,074.00	13,611.24	67.81	4.13
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	65,094.93	79,746.00	63,868.70	80.09	19.40
6.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	162.89	283.00	256.91	90.78	0.08
7.	अन्य प्राप्तियाँ	5.26	0.00	4.70	0.00	0.00
8.	उधार एवं अन्य दायित्वों ¹	19,238.16	12,145.90	16,206.99	133.44	4.92
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	19,406.51	12,428.90	16,468.60	132.51	5.00
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	84,501.44	92,174.90	80,337.30	87.16	24.41
11.	राजस्व व्यय	64,411.17	78,594.53	73,477.31	93.49	22.32
12.	ब्याज भुगतान	3,652.55	4,489.00	4,970.33	110.72	1.51
13.	पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हेतु सहायता अनुदान	1,998.74	2,248.97	1,939.61	86.24	0.59
14.	पूँजीगत व्यय जिसमें से	9,144.14	12,315.07	8,622.55	70.02	2.62
	पूँजीगत परिव्यय	8,903.45	12,109.61	8,566.39	70.74	2.60
15.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	240.69	205.46	56.16	27.33	0.02
	कुल व्यय (11+14)	73,555.31	90,909.60	82,099.86	90.31	24.94
16.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (5–11)	683.76	1,151.47	(–)9,608.61	(–)934.46	2.92
17.	राजकोषीय घाटा [15–(5+6+7)]	(–)8,292.23	(–)10,880.60	(–)17,969.55	65.15	5.46
18.	प्राथमिक घाटा (17+12)]	(–)4,639.68	(–)6,391.60	(–)12,999.22	103.38	3.95
स्रोत : वित्त लेखे 2019–20 एवं बजट बुक						

¹ (निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ+निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ+निवल आकस्मिकता निधि)+(निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष)

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियाँ की संक्षिप्त स्थिति

दायित्वों				परिसंपत्तियाँ				(₹ करोड़ में)
	2018–19	2019–20	वृद्धि / कमी(–) की प्रतिशतता		2018–19	2019–20	वृद्धि / कमी(–) की प्रतिशतता	
आंतरिक ऋण	49,553.83	60,382.67	21.85	कुल पूँजीगत परिव्यय	84,332.15	92,893.83	10.15	
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	2,700.39	2,764.05	2.36	ऋण और अग्रिमों	1,597.75	1,397.08	(–)12.56	
आकस्मिकता निधि (कोपस)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4.92	0.00	(–)100.00	
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,832.41	7,617.67	11.49	अग्रिम	1.74	1.83	5.17	
जमा	6,007.34	5,483.29	(–)8.72	प्रेषण	359.09	278.30	(–)22.50	
आरक्षित निधि	3,840.85	9,697.05	152.47	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00	
उचंत तथा विविध शेष	96.78	89.52	(–)7.50	रोकड शेष (निर्धारित निधियों में किया गया निवेशों सहित)	12,277.88	11,396.60	(–)7.18	
प्रेषण	0.00	0.00	0.00	कुल(1 से 7)	98,573.53	1,05,967.64	7.50	
				शासकीय लेखों पर घाटा	29,441.93	19,833.39	(–)32.64	
कुल(1 से 8)	69,131.60	86,134.25	24.59	कुल(8–9)	69,131.60	86,134.25	24.59	

स्रोत : वित्त लेखे 2019–20 एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2019–20 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ—साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य शासन के वित्त मे समग्र वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं।

1. राजस्व घाटा/आधिक्य—राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है।
2. राजकोषीय घाटा/आधिक्य—यह राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। वित्तीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं से परिलक्षित होता है।
3. प्राथमिक घाटा/आधिक्य—प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटे, कम ब्याज भुगतान के रूप मे मापा जाता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, सितम्बर 2011 एवं उसके बाद मई 2016 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं माध्यावधि राजकोषीय ढाचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

राज्य शासन ने मई 2016 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम 2016 पारित किया। अधिनियम के अनुसर राज्य शासन, नियमानुसार वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों के लिए सूझाये गये वित्तीय नियमों का विशेष रूप से उल्लेखित करेगा।

वर्ष 2015–20 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन में निर्धारित है एवं उनकी उपलब्धियों तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2015–20²

राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹करोड़ में)				
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	2,366.65	5,520.65	3,417.32	683.76	(-) 9,608.61
		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	(-) 4,573.71 (2.03 प्रतिशत)	(-) 4,047.27 (1.61 प्रतिशत)	(-) 6,810.32 (2.49 प्रतिशत)	(-) 8,292.23 (2.73 प्रतिशत)	(-) 17,969.55 (5.46 प्रतिशत)
		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताएं का अनुपात (प्रतिशत में)	21.23 प्रतिशत (वर्ष 2019–20)	16.76	17.64	19.31	21.95	23.91
		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* 1 मार्च 2020 से प्रभावी छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम (3 मार्च 2021) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 के लिये राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आगे, आंतरिक आशांति या प्राकृतिक आपदा एवं ऐसे अन्य आपवादिक आधारों जो राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया से उत्पन्न होने पर अप्रत्याशित मांगों के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और कुल देनदारियां राज्य के वित्त पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती हैं।

- वर्ष 2018–19 के तुलना में, राजस्व व्यय में ₹9,066.14 करोड़ (14.08 प्रतिशत) की वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों में ₹1,226.23 करोड़ (1.88 प्रतिशत) की कमी के कारण, वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व घाटा ₹9,608.61 करोड़ हो गया।
- राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण पर ब्याज का भुगतान (₹137.79 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹1,209.48 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹3,470.35 करोड़) तथा खाद्य भंडारण एवं भण्डागार (₹1,629.47 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से संघ करों और शुल्कों के हिस्से की प्राप्तियों में ₹3,252.85 करोड़ की कमी के कारण हुई।

² सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बदलाव के कारण पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाया गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशतता का आंकड़े को संशोधित की गई है।

- वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा ₹8,292.23 करोड़ था, जो ₹9,677.32 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹17,969.55 करोड़ हो गई, चूंकि वर्ष 2018–19 में ₹683.76 करोड़ की राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.46 प्रतिशत था, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (3.50 प्रतिशत) से अधिक है जबकि वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था।
- वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध कुल बकाया ऋण का अनुपात, अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था क्योंकि राज्य शासन द्वारा ₹11,680 करोड़ का बाजार ऋण लिया गया।

1.6.2 मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को वार्षिक बजट के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण रखना होता है। विवरण में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिये तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य को निर्धारित करना है।

तालिका 1.5—वर्ष 2019–20 के लिये छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान तथा वास्तविक के अंतर का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5—वर्ष 2019–20 के लिये छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

क्र.सं	राजकोषीय संकेतकों	मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में दर्शाये गये आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक (2019–20)	प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	22,930.00	22,117.85	(-)3.54
2	करेतर राजस्व	8,825.00	7,933.77	(-)10.10
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,917.00	20,205.84	(-)27.62
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	20,074.00	13,611.24	(-)32.19
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	79,746.00	63,868.70	(-)19.91
6	राजस्व व्यय	78,594.53	73,477.31	(-)6.51
7	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	1,151.47	(-)9,608.61	(-)934.46
8	राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)	(-)10,880.60	(-)17,969.55	65.15
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	21.23	23.91	12.53
10	प्रचलित मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर	11.09	8.26	(-)25.52

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2019–20 तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2019–20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये अनुमान वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में अनुमानित राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ में 19.91 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 6.51 प्रतिशत की कमी हुयी।

1.6.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।


राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)	<p>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व विंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ+ गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती है ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सके। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनिय है।</p>

1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹17,969.55 करोड़ था, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.46 प्रतिशत (₹3,29,180 करोड़) तथा कुल व्यय का 21.89 प्रतिशत (₹82,099.86 करोड़) गठित करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान ₹4,640 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हो कर ₹12,999.22 करोड़ हुई एवं वर्ष 2018–19 में ₹683.76 करोड़ की राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.5 लेखापरीक्षा के पश्चात घाटे

तालिका 1.6 में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये निधियों की कमी/अंशदान नहीं करना तथा गलत वर्गीकरण/प्रविष्टियों को शामिल करने के पश्चात् वास्तविक आधिक्य/घाटे के आकलन को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात कुल घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषिय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	0.00	1,939.61	0.00	0.00
पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किये गये राजस्व व्यय	0.00	9.59	0.00	0.00
योग	0.00	1,949.20	0.00	0.00

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2019–20

द्वितीय अध्याय

राज्य शासन के वित्त

द्वितीय अध्याय—राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण है, वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन–देनों, वित्त लेखे पर आधारित है।

वर्ष 2018–19 के सापेक्ष में वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: 2018–19 की तुलना में 2019–20 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	राज्य के राजस्व प्राप्तियाँ में 1.88 प्रतिशत की कमी हुई राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई करेतर राजस्व में 3.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 13.87 प्रतिशत की कमी हुई भारत सरकार से सहायता अनुदान में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	राजस्व व्यय में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 24.97 प्रतिशत वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.63 प्रतिशत वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.38 प्रतिशत वृद्धि हुई सहयता अनुदान पर व्यय 25.15 प्रतिशत वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	पूँजीगत व्यय में 3.79 प्रतिशत की कमी हुई सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 23.89 प्रतिशत कमी हुई सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 7.81 प्रतिशत वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 6.03 प्रतिशत कमी हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 76.66 प्रतिशत की कमी हुई ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 58.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	लोक ऋण प्राप्तियों में 36.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण अदायगी में 658.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा प्राप्तियाँ	लोक लेखा प्राप्तियों में 16.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक लेखा संवितरणों में 9.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।


2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग

तालिका 2.2: राज्य की निधि के स्रोतों और आवेदन की तुलना वर्ष 2019–20 के दौरान, वर्ष 2018–19 के साथ की गई जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2019–20 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।


तालिका 2.2: वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2018–19	2019–20	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत			
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रांतीक रोकड़ शेष	6,804.91	12,277.88	5,472.97
राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93	63,868.70	(-)1,226.23
पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.26	4.70	(-)0.56
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	162.32	256.78	94.46
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.57	0.13	(-)0.44
लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	13,224.21	10,892.50	(-)2,331.71
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	545.90	6,190.85	5,644.95
आकस्मिकता निधि	0.00	4.92	4.92
योग	85,838.10	93,496.46	7,658.36
उपयोग			
राजस्व व्यय	64,411.17	73,477.31	9,066.14
पूँजीगत व्यय	8,903.45	8,566.39	(-)337.06
ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	240.43	56.11	(-)184.32
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.25	0.05	(-)0.20
आकस्मिकता निधि	4.92	0.00	(-)4.92
भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम रोकड़ शेष	12,277.88	11,396.60	(-)881.28
योग	85,838.10	93,496.46	7,658.36

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2019–20

टीप : ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि अन्य में शामिल हैं।


2.3 राज्य के संसाधन

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।
- पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम प्राप्त करना राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।
- शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों:** कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने-देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखें में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत : वित्त लेखे 2019–20

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँके प्रवृत्ति और वृद्धि


तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2015–20 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ–साथ राजस्व उत्पादकता को प्रदान करता है। आगे, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.27	16.53	11.11	9.13	(–)1.88
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85
करेतर राजस्व(₹ करोड़ में)	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर (प्रतिशत) (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	8.03	10.43	6.58	11.04	3.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,25,163	2,50,882	2,74,042 ^१	3,04,063 ^२	3,29,180 ^३
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.83	11.42	9.23	10.95	8.26
राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.46	21.40	21.77	21.41	19.40
उत्पादकता अनुपात ^४					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	11.62	1.45	1.20	0.83	(–)0.23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर	4.39	0.91	0.71	1.01	0.38
राजस्व उत्पादकता					

स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य ए–अग्रिम अनुमान क्यु–त्वरित अनुमान पी–प्रावधिक अनुमान


चार्ट–2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

¹ उत्पादकता अनुपात किसी राजकोपीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है। उदाहरणार्थ—यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.85 प्रतिशत के संबंध में राजस्व उछाल का अर्थ है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों का प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015–16 में ₹46,067.71 करोड़ से ₹17,800.99 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019–20 के दौरान ₹63,868.70 करोड़ हो गई। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,226.23 करोड़ (1.88 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से की प्राप्ति में ₹3,252.85 करोड़ (13.87 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई।
- वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ। जबकि 53 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का समिलित योगदान रहा।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 1.88 प्रतिशत (₹1,226.23 करोड़) की कमी तुलना में राजस्व व्यय में 14.08 प्रतिशत (₹9,066.14 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष की राजस्व आधिकाय की तुलना में राजस्व घाटा हुआ।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिसें के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेतर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2015–16 से 2019–20 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेतर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.4: वर्ष 2015–20 के दौरान राज्य के कर राजस्व/करेतर राजस्व का वृद्धि

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.71	10.95	5.01	7.70	3.22
करेतर राजस्व (₹करोड़ में)	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77
वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.78	8.71	11.84	21.49	3.00

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


- स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर 3.22 से 10.95 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा वर्ष 2018–19 में 7.70 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 3.22 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर घटक (आईजीएसटी का विभाजन—एसजीएसटी को कर घटक हस्तांतरण) पिछले वर्ष की तुलना में कम प्राप्त हुआ।
- करेतर राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2015–19 की अवधि को दौरान 3.00 प्रतिशत से 21.49 प्रतिशत तक की अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है जो कि और वर्ष 2018–19 में 21.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 3.00 प्रतिशत हो गया। गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत वर्ष 2018–19 में ₹1,198.80 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में केवल ₹85.48 करोड़ की प्राप्तियों के कारण कमी आई।
- स्वयं का कर राजस्व तथा करेतर राजस्व दोनों में, राज्य ने विगत पाँच वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की।
- वर्ष 2019–20 के दौरान स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2018–19 (₹26,030 करोड़) की तुलना में 11.99 प्रतिशत (₹22,930 करोड़) कम होने का अनुमान लगाया गया था, जिसका मुख्य कारण राज्य में वस्तु एवं सेवा कर लागू किये जाने से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को होने वाली राजस्व हानि के लिये देय क्षतिपूर्ति को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अंतर्गत शामिल किया जाना है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 में राज्य शासन द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया था।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2015–20 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.6: वर्ष 2015–20 के दौरान स्वयं का कर राजस्व का वृद्धि दर

(₹करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–20 पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक-वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2015–20 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(रुकरोड़ में)

शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	
					बजट प्रावधान	वास्तविक
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,788.30	3,931.37
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	4,386.56	8,203.41	8,201.70	7,894.82
राज्य उत्पाद शुल्क	3,338.40	3,443.51	4,054.00	4,489.03	5,000.00	4,952.36
वाहनों पर कर	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85	1,600.00	1,274.85
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,185.22	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,550.00	1,634.63
भू-राजस्व	363.84	503.66	446.41	487.57	700.00	551.50
माल एवं यात्रियों पर कर	1,040.26	1,340.36	477.66	54.51	0.00	40.51
विद्युत कर तथा शुल्क	1,372.84	1,495.48	1,688.96	1,790.27	2,090.00	1,837.00
अन्य कर	36.72	38.37	14.01	1.44	0.00	0.81
योग	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,930.00	22,117.85

झोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वर्ष 2019–20 के बजट बुक

राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2015–16 में ₹17,074.86 करोड़ से ₹5,042.99 करोड़ (29.53 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹22,117.85 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 में ₹22,117.85 करोड़ के कुल कर राजस्व में से, वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 35.69 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क (22.39 प्रतिशत) तथा बिक्री, व्यापार आदि पर करों (17.77 प्रतिशत) का योगदान दिया गया। जैसा कि उपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक थीं, जबकी विद्युत कर तथा शुल्क एवं वाहनों पर कर प्राप्तियों में बजटीय अनुमानों की तुलना में महत्वपूर्ण कमी थी।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

राज्य शासन ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, केन्द्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि की भरपाई पाँच वर्ष की अवधि तक करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व के प्राप्त अंतिम आंकड़े के लेखापरीक्षा के पश्चात की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015–16) के वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये करों के राजस्व आंकड़ा अनुसार तय किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आधार वर्ष 2015–16 के अनुमानित राजस्व ₹7,357.43 करोड़ में प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को लागू करते हुए वर्ष 2019–20 के लिए अनुमानित राजस्व ₹12,426.41 करोड़ की गणना की गई।

वर्ष 2019–20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व का आंकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), इनपुट टैक्स क्रेडिट, एस.जी.एस.टी का क्रास उपयोग एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी), आई.जी.एस.टी का कर भाग का एस.जी.एस.टी. में हस्तांतरण का विभाजन और आई.जी.एस.टी से आग्रिम विभाजन। वर्ष 2019–20 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹12,426.41 करोड़ के विरुद्ध, वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य शासन को ₹7,894.82 करोड़ के राजस्व प्राप्ति हुई। राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹3,081.44 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई।

जीएसटीएन परिसर में सम्पूर्ण भारत का डेटा को एक्सेस करने हेतु भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को कर दिया गया था परन्तु इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर लंबित थे। अतः वर्ष 2019–20 के लेखों, भारत सरकार के निर्णय अनुसार लेखापरीक्षा को

जीएसटीएन का डेटा एक्सेस के लंबित रहने के कारण, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर किया गया, जैसा की अभिलेखों का संधारण मैन्यूअल रीति से किये जाते थे।

2.3.3.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2015–20 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निचे दिये गये हैं।

तालिका 2.6—वर्ष 2015–20 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व

(₹करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में वृद्धि का प्रतिशत
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	3,709.52	4,141.47	4,911.44	6,110.24	6,195.73	1.40
वृद्धि सिंचाई	502.17	437.35	461.23	521.81	437.04	(-)16.25
वानिकी तथा बन्ध जीव	409.75	405.15	291.17	236.73	249.37	5.34
ब्याज प्राप्तियाँ	108.23	157.24	180.44	189.55	232.41	22.61
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	485.12	528.04	496.14	644.69	819.22	27.07
योग	5,214.79	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	3.00

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कुल करेतर राजस्व प्राप्तियों में ₹2,718.98 करोड़ (52.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2015–16 में ₹5,214.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹7,933.77 करोड़ हो गई। करेतर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 3.00 प्रतिशत (₹230.75 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से अन्य करेतर प्राप्तियों में ₹174.53 करोड़ (27.07 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्तियों में ₹42.86 करोड़ (22.61 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों ने वर्ष 2019–20 के दौरान कुल करेतर राजस्व में 78.09 प्रतिशत (₹6,195.73 करोड़) का योगदान दिया।

2.3.3.4 केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

भारत सरकार ने वर्ष 2015–16 के बाद से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य के हिस्से में इस उल्लेखनीय वृद्धि ने पहले किये गये विवेकाधीन हस्तान्तरणों से वैधानिक हस्तान्तरणों के पक्ष में केन्द्रीय हस्तान्तरणों की संरचना बदल दिया। इससे राज्य को हस्तान्तरित की जा रही निधियों की मात्रा में अधिक पूर्वानुमान और और निश्चितता प्राप्त हुई।

वर्ष 2015–20 के दौरान राज्य को केन्द्रीय कर स्थानान्तरण का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	291.44	5,789.33	5,733.71
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	2,094.36	462.00	0.00
निगम कर	4,950.08	6,019.53	6,352.98	8,157.09	6,889.42
निगम कर से भिन्न आय पर कर	3,455.09	4,183.59	5,364.62	6,007.35	5,398.34
सीमा शुल्क	2,504.03	2,589.37	2,093.70	1,662.66	1,280.78
संघ उत्पाद शुल्क	2,069.99	2,956.84	2,188.50	1,104.93	890.49
सेवा कर	2,727.11	3,045.99	2,369.40	217.76	0.00
अन्य कर	10.17	13.84	(-)0.19	57.57	13.10
केन्द्रीय कर हस्तान्तरण	15,716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69	20,205.84
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	87.92	19.68	10.34	13.03	(-)13.87
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण का हिस्सा	34.12	35.04	34.80	36.04	31.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विंगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2015–20 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2015–16 में ₹15,716.47 करोड़ से 28.56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹20,205.84 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण में ₹3,252.85 करोड़ (13.86 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से निगम कर (₹1,267.67 करोड़) तथा निगम कर के भिन्न अन्य आय पर कर (₹609.01 करोड़) के कारण हुई।

2.3.3.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2015–20 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:—

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
आयोजनेत्तर अनुदान	2,328.79	2,013.42			
राज्य योजना स्कीम के लिये अनुदानों	4,775.83	7,785.03	#		
केन्द्र योजना स्कीम के लिये अनुदानों (केन्द्र प्रवर्तित योजना स्कीम सहित)	956.97	463.18			
केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदान			9,275.76	8,214.77	7,808.24
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		#	1,460.23	1,679.48	2,044.75
अन्य हस्तान्तरण/राज्यों को अनुदान			1,921.17	2,611.70	3,758.25
योग	8,061.59	10,261.63	12,657.16	12,505.95	13,611.24
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	(-)10.31	27.29	23.34	(-)1.19	8.84
राजस्व प्राप्तियाँ	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70
राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	17.50	19.11	21.22	19.21	21.31

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

आंकड़े उपलब्ध नहीं क्योंकि आयोजना एवं आयोजनेत्तर नामवली को वर्ष 2017–18 से विलोपित कर केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदानों, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 21 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹7,808.24 करोड़) कुल अनुदान का 57 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹2,044.75 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो की वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 15 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹1,105.29 करोड़ (8.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के हानि के लिए क्षतिपूर्ति के प्राप्तियों में वृद्धि, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना, समग्र शिक्षा योजना के तहत संपत्ति के निर्माण के लिये प्राप्त सहायता अनुदान के कारण हुआ।

2.3.3.6 चौदहवें वित्त आयोग अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ) के लिए चौदहवें वित्त आयोग अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

**तालिका 2.9: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान
(₹ करोड़ में)**

हस्तांतरण	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा वास्तविक प्रदाय		अंतर	
	2015–20	2019–20	2015–20	2019–20	2015–20	2019–20
स्थानीय निकाय						
1 पंचायती राज संस्थानों को अनुदान						
(अ) सामान्य प्राथमिक अनुदान	4,719.72	1,415.89	4,719.72	1,415.89	0.00	0.00
(ब) प्रदर्शन अनुदान	524.41	173.05	219.21	0.00	305.20	173.05
2. शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान						
(अ) सामान्य प्राथमिक अनुदान	1,270.33	381.09	1,270.30	381.09	0.03	0.00
(ब) प्रदर्शन अनुदान	317.58	104.80	132.75	70.47	184.83	34.33
स्थानीय निकायों का कुल	6,832.04	2,074.83	6,371.68	1,867.45	460.36	207.38
राज्य आपदा राहत निधि	1,196.00	263.00	1,065.74	177.30	130.26	85.70
महायोग	8,028.04	2,337.83	7,437.42	2,044.75	590.62	293.08

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

- मार्च 2020 तक, राज्य शासन ने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में पंचायती राज संस्थानों (₹4,719.72 करोड़) और शहरी स्थानीय निकायों (₹1,270.30 करोड़) को संपूर्ण प्राथमिक अनुदान चौदहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2015–20 में प्राप्त किया।
- प्रदर्शन अनुदान के संबंध में, राज्य शासन को दी गयी अवधि 2015–20 के 14 वे वित्त आयोग के सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹524.41 करोड़ एवं शहरी निकायों को ₹317.58 करोड़ के विरुद्ध क्रमशः ₹219.21 करोड़ और ₹132.75 करोड़ प्राप्त हुए।
- अवधि वर्ष 2015–20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिश (₹1,196.00 करोड़) के विरुद्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत ₹1,065.74 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3.7 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका में पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.84	2.37	3.32	5.26	4.70
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	296.39	172.99	138.59	162.32	256.78
अंतर्राजीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	0.52	0.38	1.24	0.56	0.13
(अ) गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	299.75	175.74	143.15	168.14	261.61
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	50.78	(-)41.37	(-)18.54	17.46	55.59
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	7,105.87	5,098.40	9,187.89	13,816.66	19,308.36
आंतरिक ऋण का वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.49	28.25	80.21	50.38	39.75
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	145.28	381.53	464.55	553.44	279.17

(ब) लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	7,251.15	5,479.93	9,652.44	14,370.10	19,587.53
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	7,550.90	5,655.67	9,795.59	14,538.24	19,849.14
पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.60	(-)24.43	76.14	48.88	36.31
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.83	11.42	9.23	10.95	8.26
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.74	(-)25.10	73.2	48.42	36.53

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2015–16 में $\text{₹}7,550.90$ करोड़ थी जिसमें वर्ष 2019–20 में 163 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर $\text{₹}19,849.14$ करोड़ हो गई। वर्ष 2019–20 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियों में $\text{₹}5,310.90$ करोड़ (36.53 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ में $\text{₹}5,217.43$ करोड़ (36.30 प्रतिशत) के वृद्धि से हुई जो $\text{₹}11,680$ करोड़ के बाजार ऋण (लोक ऋण का 58.84 प्रतिशत) है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेतर राजस्व स्रोत शामिल हैं। चौदहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2019–20 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: कर और करेतर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

	वित्त आयोग के अनुमान (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
				बजट अनुमान	वित्त आयोग के अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	36,686.00	22,930.00	22,117.85	(-)3.54	(-)39.71
करेतर राजस्व	6,420.00	8,825.00	7,933.77	(-)10.10	23.58
योग	43,106.00	31,755.00	30,051.62	(-)5.36	(-)30.28

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन चौदहवें वित्त आयोग के अपेक्षाओं को अपने स्वयं के कर प्राप्तियों से पूरा करने में 30.28 प्रतिशत की कमी थी। वास्तव में, यह अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध संसाधनों को जुटाने में 5.36 प्रतिशत की कमी थी।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अद्योसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना, और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.12—कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कुल व्यय	51,811.29	57,908.26	66,600.54	73,555.31	82,099.86
राजस्व व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
पूँजीगत व्यय	7,945.01	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39
ऋण एवं अग्रिम	165.22	273.15	369.83	240.69	56.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	2,25,163	2,50,882	2,74,042	3,04,063	3,29,180
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.01	23.08	24.30	24.19	24.94
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.41	19.20	20.52	21.18	22.32
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.53	3.77	3.65	2.93	2.60
ऋण एवं अग्रिम/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.07	0.11	0.13	0.08	0.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2015–16 में राज्य का कुल व्यय ₹51,811 करोड़ से 58.46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹82,099 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष में 11.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2015–20 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.01 से 24.94 प्रतिशत के मध्य रहा। चार्ट 2.7 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.7—कुल व्यय—इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है की, वर्ष 2017–18 के बाद से पूँजीगत व्यय में गिरावट देखी गई। गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1 देखें) ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और अन्य सहित सामान्य सेवाओं पर किये गये व्यय शामिल है। इन घटकों के सापेक्ष व्यय को तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13—व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
सामान्य सेवायें	10,772.09	11,683.77	13,373.74	15,535.80	19,289.82
सामाजिक सेवायें	18,190.76	23,972.80	27,116.57	25,319.17	28,610.12
आर्थिक सेवायें	21,947.54	21,100.70	24,744.50	31,804.93	33,079.55
अन्य (रथानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	9,00.90	1,150.99	1,365.73	895.41	1,120.37


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में कुल व्यय में तीनों क्षेत्रों—सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक एवं अन्यों पर किया गये व्यय में बढ़ोतरी हुई।

- पिछले वर्ष के मुकाबले सामान्य सेवाओं में व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण बाजार ऋणों पर ब्याज, राज्य भविष्य निधि पर ब्याज, अधिवार्षिक और सेवानिवृत्ति भत्ते, उपदान, पारिवारिक पेंशन, और निर्धारित पेंशन योगदान योजना में शासन का योगदान में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सामाजिक सेवाओं में व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण पंचायत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन होने से वेतन एवं भत्तों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- पिछले वर्ष के मुकाबले आर्थिक सेवाओं में व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण बैंक को भुगतान, वेतन एवं भत्तों में व्यय की वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के व्यवसाइयों को लाभ, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ से खाद्यान्न की खरीदी पर हुए घाटे की प्रतिपूर्ति, शक्कर वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न वितरण योजना, इत्यादि था।

चार्ट-2.8: कुल व्यय—गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्पादवक्ता एवं राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख तालिका 2.14 एवं वर्ष 2019–20 का राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कुल व्यय	51,811.29	57,968.26	66,600.55	73,555.31	82,099.86
राजस्व व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.46	10.21	16.74	14.55	14.08
राजस्व व्यय का कल व्यय से प्रतिशत	84.35	83.09	84.43	87.57	89.50
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.41	19.20	20.52	21.18	22.32


राजस्व प्राप्तियों	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.27	16.53	11.11	9.13	(-)1.88
राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	94.86	89.72	94.27	98.95	115.04
राजस्व व्यय का उत्पादकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	5.72	0.89	1.81	1.33	1.70
राजस्व प्राप्तियों से	0.49	0.62	1.51	1.59	(-)7.49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय ने वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय का औसत 85.79 प्रतिशत (83.09 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत तक) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2015–20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उत्तार–चढ़ाव आया है। मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी में ₹3,956 करोड़ की बढ़ोतरी, पेंशन में ₹1,209 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹1,318 करोड़ और सक्षिकी में ₹3,160 करोड़ के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई।

चार्ट-2.9: वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विस्तृत राजस्व व्यय में 1.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.15 में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में अंतरों

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2018–19	2019–20	अंतर	वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशतता
2435—अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम	261.85	2,729.30	2,467.45	942.31
3452—पर्यटन	5.70	21.99	16.29	285.79
2501—ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	159.64	504.67	345.03	216.13
2048—क्रष्ण की कमी या परिहार के लिये विनियोजन	100.00	265.00	165.00	165.00
2801—उर्जा	2,078.77	4,690.79	2,612.02	125.65
2810—नवीन एवं नवीकरण उर्जा	26.25	57.76	31.51	120.04

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,487.89	2,875.27	1,387.38	93.24
2408—खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह	4,105.84	5,735.40	1,629.56	39.69
2049—ब्याज भुगतान	3,652.55	4,970.36	1,317.81	36.08
2202—सामान्य शिक्षा	12,266.52	5,736.87	3,470.35	28.29
2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति	5,428.50	6,637.98	1,209.48	22.28
2216—गृह निर्माण	2,377.39	674.65	(-)1,702.74	(-)71.62
2401—फसल एवं कृषि कर्म	8,839.89	2,239.15	(-)6,600.74	(-)74.67

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

फसल एवं कृषि-कर्म के तहत राजस्व व्यय में वर्ष के दौरान भारी गिरावट आई, मुख्य रूप से खाद्यान्नों और चने के उत्पादन के प्रोत्साहन पर व्यय में कमी, गन्ना किसानों को बोनस, जैविक खेती मिशन, फसल प्रदर्शनी योजना, कृषि उपकरण सेवा केन्द्र की स्थापना आदि के कारण हुई। पिछले वर्ष के तुलना में, वर्ष 2019–20 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय में कमी के कारण आवास में भी कमी दर्ज की गई। इसके अलावा, बिजली और अन्य कृषि कार्यक्रमों के तहत व्यय में वृद्धि क्रमशः बिजली बोर्डों को सहायता और किसानों को ऋण राहत के कारण हुई थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है। **तालिका 2.16** वर्ष 2015–20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
वेतन एवं मजदूरी	10,865	11,424	13,184	17,808	21,764
पेंशन पर व्यय	3,519	3,487	3,898	5,429	6,638
ब्याज भुगतान	2,149	2,687	3,098	3,653	4,971
योग	16,533	17,598	20,180	26,890	33,373
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.58	21.28	22.10	27.36	34.08
पेंशन पर व्यय	7.64	6.50	6.54	8.34	10.39
ब्याज भुगतान	4.66	5.01	5.19	5.61	7.78
योग	35.89	32.78	33.83	41.31	52.25
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	24.86	23.72	23.45	27.65	29.62
पेंशन पर व्यय	8.05	7.24	6.93	8.43	9.03
ब्याज भुगतान	4.92	5.58	5.51	5.67	6.77
योग	37.83	36.54	35.89	41.75	45.42

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2015–16 में ₹16,533 करोड़ (राजस्व व्यय का 37.83 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹33,373 करोड़ (राजस्व व्यय का 45.42 प्रतिशत) हो गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹10,980 करोड़ के बाजार ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान में भारी वृद्धि हुई है।

वर्ष 2015–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर **चार्ट 2.10** से देखा जा सकता है की, वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 36 प्रतिशत से अधिक था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य की प्राप्तियों का 33 प्रतिशत से अधिक था।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता

वर्ष 2019–20 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹6,637.98 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) में ₹1,057.21 करोड़ व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के अंशदान का बकाया राशि के साथ मार्च 2016 से कर्मचारियों के अंशदानों के कटौती राशि के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत हुई। वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान की राशि ₹1,059.29 करोड़ के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा ₹10,57.21 करोड़ का योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ₹2.08 करोड़ का कम अंशदान हुआ।

31 मार्च 2020 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक ₹ 25.83 करोड़ का हस्तांतरण लंबित रहते हुए सार्वजनिक लेखे में पड़ी रही। ₹2.08 करोड़ के कम अंशदान और ₹25.83 करोड़ के गैर-हस्तांतरण के परिणम स्वरूप राज्य शासन को ₹27.91 करोड़ की परिहार्य देयता का अनावश्यक सृजन हुआ और उस सीमा तक कर्मचारियों के देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई।

2.4.2.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए शासन के अंशदान की राशि व्यक्तिगत जमा खाते में रखना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने 01 अप्रैल 2012 से छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अपनाया।

आयुक्त, आदिवासी विभाग के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि विभाग ने (फरवरी 2013) शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत 10,333 शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध वर्ष 2012–13 के लिए नई पेंशन प्रणाली के लिए शासन के योगदान के रूप में ₹36.10 करोड़ का अग्रिम आहरण किया और नए कार्ड जारी करने के लिए ₹0.29 करोड़ जमा किए और एन.एस.डी.एल को सेवा प्रभार के रूप में ₹1.10 करोड़ का भुगतान किया। हालाँकि विभाग ने कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की कटौती के लिए प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की और इस प्रकार 31 मार्च 2020 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खाते में ₹34.71 करोड़ पड़ी रही।

2.4.2.5 सब्सिडी

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी वर्ष 2018–19 में 4.40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 5.19 प्रतिशत हो गई जो की राजस्व प्राप्तियों का 17.98 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय का 15.63 प्रतिशत रहा जैसा कि तालिका 2.17 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है।

तालिका 2.17: वर्ष 2015–20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
सब्सिडी (₹करोड़ में)	7,397.12	4,189.14	5,004.69	8,323.01	11,483.23
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	16.06	7.80	8.39	12.79	17.98
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	16.93	8.70	8.90	12.92	15.63

ओतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2018–19 में ₹8,323.01 करोड़ से वर्ष 2019–20 में ₹3,160.22 करोड़ (37.96 प्रतिशत) से बढ़ कर ₹11,483.23 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान कृषि ऋण माफी योजना, कृषि पंपों के बिजली की मुफ्त आपूर्ति, एकल बत्ती कनेक्शन, बिजली शुल्क में राहत, मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना और खाद्य खरीद पर हानि के प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सब्सिडी व्यय के मुख्य घटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति (₹4,938.15 करोड़), ऊर्जा (₹3,074.11 करोड़) और वित्त (₹2,729.29 करोड़) थे।

2.4.2.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,785.97	3,234.45	3,425.75	2,778.73	3,138.94
पंचायती राज संस्थान	6,246.71	8,899.54	10,899.36	6,905.17	6,006.83
योग (अ)	8,032.68	12,133.99	14,325.11	9,683.90	9,145.77
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	189.05	218.9	235.45	170.44	273.67
विकास प्राधिकरण	167.93	262.27	287.03	271.41	235.06
अन्य संस्थान	5060.76	7040.53	10067.64	13209.81	10429.32
योग (ब)	5,417.74	7,521.7	10,590.12	13,651.66	10,938.05
योग (अ+ब)	13,450.42	19,655.69	24,915.23	23,335.56	20,083.82
राजस्व व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	30.78	40.81	44.31	36.23	27.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नगर निगमों और नगर पालिकाओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹360.21 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा में शिक्षक पंचायत के विलय के कारण, पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹898.34 करोड़ कम हो गई।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता वर्ष 2015–16 में 30.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 27.33 प्रतिशत हो गई।


2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अद्योसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल हैं।

राज्य के पूँजीगत व्यय में पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष 2018–19 में ₹1,098 करोड़ और वर्ष 2019–20 में ₹337 करोड़ की कमी के साथ महत्वपूर्ण कमी देखी गई। विगत पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय का विवरण वर्ष 2015–20 का चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11 राज्य पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का पूँजीगत व्यय पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 2015–16 में ₹7,945 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹8,566 करोड़ के साथ अन्तर वर्ष के उतार–चढ़ाव के साथ बढ़ा। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन ने वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों को ₹2,344.32 करोड़ (16.22 प्रतिशत) घटा दिया। पूँजीगत व्यय में 3.79 प्रतिशत (₹337.06 करोड़) की कमी मुख्य रूप से वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के काम की धीमी प्रगति के कारण हुई।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.19 में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मुख्य अंश हैं।

तालिका 2.19—वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2018–19	2019–20	वृद्धि / कमी(–) का प्रतिशत
5055—सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	3.09	6.00	94.17
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	214.49	361.82	68.69
5054—सड़क एवं पूल पर पूँजीगत परिव्यय	3,765.51	3,928.86	4.34
4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	848.90	667.96	(–)21.31
4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	233.71	148.85	(–)36.31
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	27.37	10.21	(–)62.70
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	130.00	42.09	(–)67.62

स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19 एवं 2019–20

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि कुल पूँजीगत व्यय का 46 प्रतिशत (₹8,566.39 करोड़) सड़क और पूलों पर और इसके बाद लघु सिंचाई पर आठ प्रतिशत व्यय किया गया, जबकी विद्युत परियोजनाओं पर व्यय में उल्लेखनीय कमी आई। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय मुख्य रूप से चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के तहत व्यय में वृद्धि, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग निवेशों एवं शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

2.4.3.2.1 कंपनियों, निगमों और निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कम्पनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों (जैसे डिस्कोम), निगमों (जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम) और सहकारी समितियों (जैसे शक्कर कारखाना) को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

2.4.3.2.2 निवेश और वापसी

वित्त लेखा वर्ष 2019–20 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 22 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,523 सहकारी समितियों में 31 मार्च 2020 तक ₹7,265.79 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2019–20 के दौरान इन निवेशों पर ₹2.39 करोड़ की वापसी अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.20: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	33.50(06)	35.90(02)	37.82(02)	86.92(10)	87.88(10)
सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	5,969.44 (16)	6,459.45(13)	6,459.45(13)	6,683.34(28)	6,683.34(28)
संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	2.60(01)	57.60(04)	144.80(05)	145.21(22)	145.21(22)
ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	24.31(01)	24.31(01)	25.15(01)	25.15(02)	25.15(02)
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय (ईकाइयों की संख्या)	162.37(1462)	201.34(1523)	199.15(1523)	327.42(1523)	324.21(1460)
कुल निवेश	6,192.22	6,778.60	6,866.37	7,268.05	7,265.79
वर्ष के अन्त में निवेश	6,192.22	6,778.60	6,866.37	7,268.05	7,265.79
निवेश पर प्रतिफल	5.73	0.55	4.80	1.49	2.39
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.09	0.01	0.07	0.02	0.03
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.25	6.62	6.38	6.10	6.83
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.16	6.61	6.31	6.08	6.80
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	381.44	448.07	433.27	442.15	493.86

झोल: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की औसत दर 0.04 प्रतिशत थी। जबकि इस अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई ब्याज की औसत दर 6.44 प्रतिशत थी। वर्ष 2019–20 के दौरान लाभ कमाने वाली 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ₹684.51 करोड़ का लाभ कमाया, जिसमें से मात्र दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश की घोषणा

की गई। इसके अलावा, राज्य शासन ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों को राज्य शासन द्वारा अंशदान की गई चुकता शेयर पूँजी पर न्यूनतम वापसी का भुगतान करना आवश्यक हो।

2.4.3.2.3 राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं।

31 मार्च 2020 के स्थिति में विगत पांच वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को तालिका 2.21 में प्रस्तुत दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: वर्ष 2015–16 से 2019–20 में ऋणों का वितरण एवं वसूली का मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरीत ऋणों एवं वसूली की प्रमात्रा	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,395.41	1,273.96	941.98	1,519.63	1,597.75
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	164.73	272.71	368.76	240.44	56.11
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	296.39	172.99	138.59	162.32	256.78
बकाया ऋणों का अंतर्शेष	1263.75	1373.69	1172.16	1597.75	1397.08
निवल वृद्धि	(-)131.66	99.72	230.17	78.12	(-)200.67
ब्याज प्राप्तियाँ	47.02	30.19	27.61	28.32	1.67
शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्याज दर	3.54	2.28	2.36	1.77	0.12
शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर	6.25	6.62	6.38	6.10	6.83
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत)	(-)2.71	(-)4.34	(-)4.02	(-)4.33	(-)6.71

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिए गए ऋण के संवितरण में काफी कमी थी। इसके अलावा प्राप्त ब्याज में भी कमी आई है क्योंकि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी और शहरी स्थानीय निकायों से ब्याज प्राप्त नहीं किया था।

वर्ष 2019–20 के दौरान उधार पर किये गये ब्याज का भुगतान औसत दर 6.83 प्रतिशत थी, जबकि शासन द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज दर केवल 0.12 प्रतिशत थी।

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरुद्ध

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार लिया गया धन ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

31 मार्च 2020 को या उससे पहले ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें			31 मार्च 2020 को 145 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय	
			51 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित	51 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राककलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात 51 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत		
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	10	417.43	02	551.20	551.20	399.59	502.43
जल संसाधन	135	3,934.62	49	1,722.18	3,819.29	2,017.11	2,852.79
योग	145	4,352.05	51	2,273.38	4,370.49	2,496.70	3,355.22

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2019–20

परियोजना के कामों को पूरा करने में विलंब से लागत में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि राज्य शासन ने 94 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए राज्य द्वारा व्यय किए जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण, परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.23 में वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ई/स.रा.घ.उ.	एसएसई/ई	ईएसई/ई	डीई#/ई	सीई/ई	शिक्षा /ई	स्वास्थ्य /ई
औसत (अनुपात) 2015–16							
सामान्य श्रेणी राज्य	16.97	36.09	34.19	70.29	14.81	15.68	4.79
छत्तीसगढ़	23.01	35.11	42.36	77.47	15.33	18.96	5.23
औसत (अनुपात) 2019–20							
सामान्य श्रेणी राज्य	15.15	36.73	28.69	65.42	12.97	15.91	5.21
छत्तीसगढ़	24.94	34.85	40.29	75.14	10.43	19.85	5.69
ई: सकल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई-विकास व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्प्रियोजन हैं।							

स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े

जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य शासन द्वारा सामान्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों को आबंटित प्राथमिकता सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम रही है, पूँजीगत व्यय और विकास व्यय पर परिव्यय के मामले में, विशेष

रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर, राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। पूँजीगत व्यय पर, परिव्यय को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के राज्यों की प्रासंगित अनुपात वर्ष 2019–20 में भी उसी प्रवृत्ति जारी रहा, जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ में कमी देखी गई है।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष तक के लेन–देन को दर्शाते हैं। इसलिए, उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक डिल डाउन व्यू तालिका 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.24: बजट आबंटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
14—सहायता अनुदान	25,604.79	20,328.74	79.39
01—वेतन एवं भत्ते	21,422.96	20,585.71	96.09
13—वित्तीय सहायता	10,781.89	11,483.23	106.50
12—पेशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	4,905.27	6,611.11	134.78
97—निर्माण कार्य	5,333.18	3,446.13	64.62
35—ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	7,632.50	5,011.35	65.66
26—वृहद निर्माण कार्य	4,268.22	2,882.37	67.53
45—पूँजीगत परि—संपत्तियों का निर्माण	1,822.96	1,939.61	106.40
25—सामग्री और पूर्तियाँ	2,463.69	2,423.56	98.37
37—अंतः लेखा अन्तरण	1,857.32	1,306.50	70.34
11—छात्रवृत्तियां वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	1,079.97	1031.95	95.55
योग	87,172.75	77,050.26	88.39

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2019–20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल (₹ 87,172.75 करोड़) के बजटीय आबंटन में से, 2019–20 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय मात्र ₹ 77,050.26 करोड़ (88.39 प्रतिशत) था। ऊपर उल्लेख किए गए 11 उद्देश्य शीर्षों में से तीन उद्देश्य शीर्ष ने अपने आबंटन के 100 से अधिक प्रतिशत का उपयोग किया।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन–देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 शुद्ध लोक लेखा

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। मार्च 2020 के समाप्त तक राज्य के लोक लेखे में घटक—वार शुद्ध शेष नीचे दी गई तालिका 2.25 में दिए गए हैं।

तालिका 2.25: वर्ष के 31 मार्च समाप्ति तक लोक लेखे अंतर्गत घटक—वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
ज्ञ—अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	514.30	426.96	640.61	754.51	785.26
त्र—आरक्षित निधियां	(क)ब्याज वाली आरक्षित निधियां	90.51	323.40	(-)517.65	197.87	701.07
	(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	499.42	316.40	39.72	(-)33.08	5155.13
ट—जमा तथा अग्रिम	(क)ब्याज वाली जमा	1.33	(-)1.74	(-)21.02	(-)6.79	(-)5.62
	(ख) बिना ब्याज वाली जमा	(-)70.87	552.40	141.79	(-)224.60	(-)518.43
	(ग)अग्रिमों	0.00	0.02	0.18	0.00	(-)0.09
ठ—उचंत तथा विविध	(क) उचंत	30.53	37.53	(-)72.83	(-)21.28	(-)6.30
	(ख) अन्य लेखे	5.18	(-)159.01	22.10	1.70	(-)0.96
	(ग)विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(घ)विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड—प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-)6.68	67.54	54.39	(-)126.73	93.41
	(ख) अंत—सरकार समायोजन लेखे	(-)5.26	(-)18.40	16.53	4.30	(-)12.62
योग		1,058.46	1,545.10	303.82	545.90	6,190.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखे में घटकवार शुद्ध शेष वर्ष 2015–16 में ₹1,058.46 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹6,190.85 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में 2019–20 में लोक लेखे में निवल राशि ₹5,644.95 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बिना ब्याज आरक्षित निधि में ₹5,188.21 करोड़ की वृद्धि एवं ब्याज आरक्षित निधि में ₹503.20 करोड़ की वृद्धि था, और अन्य लेखे में ₹46.46 करोड़ कमी।

2.5.2 आरक्षित निधि

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोकलेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। ये निधि राज्य के समेकित कोष से योगदान या अनुदान से मिलती है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्ष 2000–2001 (राज्य के गठन से) से 17 आरक्षित निधि रख गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2020 की स्थिति में 14 निधि संचालित थीं और तीन निधि असंचालित थी। इन निधियों में 31 मार्च 2020 के अंत में कुल संचित शेष राशि ₹9,697.04 करोड़ थी (संचालित निधि में ₹9,696.94 करोड़ और असंचालित निधि में ₹0.10 करोड़), जिसमें से ₹7,232.27 करोड़ (74.58 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए आरक्षित निधि, “ग्रामीण विकास निधि” का गठन 2001–02 में किया गया था। 2019–20 के दौरान ₹50.90 करोड़ को निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31 मार्च 2020 तक निधि का संचयी ₹265.56 करोड़ था लेकिन इसकी स्थापना के बाद से इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण और संवितरण, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से समेकित निधि के तहत उपयुक्त राजस्व और व्यय शीर्षों से प्रभावित होते हैं। ये वास्तविक नकदी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व केवल तभी करते हैं जब वे रिजर्व बैंक डिपॉजिट को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं। चूंकि कोई वास्तविक नकदी बहिर्वाह नहीं था, इसलिए आरक्षित निधि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दर्शाए गए ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं, जो आरक्षित निधि के निमाण और संचालन में अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हैं।

2.5.3 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2019–20 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹333.75 करोड़ (वर्ष की शुरुआत में ₹ 66,749.51 करोड़ का बकाया देयता का 0.50 प्रतिशत) निधि में हस्तांतरित करना था, जिसके विरुद्ध केवल ₹265.00 करोड़ स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 तक संचित निक्षेप निधि (निवेश खाते) में ₹2,311.94 करोड़ शेष था।

2.5.4 राज्य आपदा राहत निधि

राज्य आपदा राहत निधि के दिशानिर्देश 2015 के संदर्भ में, धन के तहत शेष राशि राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा (अ) में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (ब) नीलामी के लिए ट्रेजरी बिल और (स) ब्याज से अर्जित जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा के प्रमाण पत्र में निवेश किया जाना है और अर्जित ब्याज को संबंधित निधि में जमा किया जाना चाहिए। यह भी प्रवधानित किया गया था कि भारत सरकार की हिस्सेदारी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, राज्य अपने हिस्से के साथ–साथ राशि को लोक लेखा शीर्ष में हस्तांतरित कर देगा। किसी भी विलंब के लिए राज्य शासन को विलंब के दिनों के आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

राज्य आपदा राहत कोष के पास मार्च 2020 तक ₹491.88 करोड़ का अंतिम शेष था। हालाँकि निधि के शेष के निवेश का विवरण प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2020)। मार्च 2020 में भारत सरकार से ₹66.75 करोड़ की सहायता अनुदान राज्य आपदा राहत निधि हेतु प्राप्त हुआ और ₹22.25 करोड़ की सम्बन्धित राज्य की हिस्सेदारी का वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य आपदा राहत कोष को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

एसडीआरएफ को प्रभारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26—राज्य आपदा राहत निधि को प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2019–20 के दौरान व्यय
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01—सूखा		
101	अनुग्राहिक राहत	1.09
102	पीने के पानी की पूर्ति	0.18
02—बाढ़ चक्रवात आदि		
101	अनुग्राहिक राहत	5.05
110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सहायता	0.40
111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	17.53
112	जनसंख्या का निष्क्रमण	2.65
113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	9.54
114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	6.16
116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वैल एवं पम्पसेंट की मरम्मत हेतु सहायता	0.00
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.26

80—सामान्य		
101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.21
102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	0.21
800	अन्य व्यय	204.43
	कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय	253.71
05—आपदा राहत निधि		
901	घटाएं—राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-) 252.00

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20


2.5.5 प्रत्याभूति मोचन निधि

बाहरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष की शुरूआत में बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था। तदनुसार, राज्य शासन को वर्ष 2019–20 में गारंटी मोचन निधि बनाने और निधि में ₹57.79 करोड़ हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के विपरीत, राज्य शासन ने गारंटी मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अधिकतम गारण्टी “मध्यम और कम” जोखिम का था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने प्रवर्तन के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है। वर्ष 2015–16 और वर्ष 2019–20 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.12 में देखी जा सकती है।

चार्ट—2.12: बकाया ऋण की स्थिती



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, कर्ज की अदायगी, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और पांच वर्ष की अवधि 2015–20 के दौरान राज्य को उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा का विवरण तालिका 2.27 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.27—ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बकाया ऋण	37,741.14	44,258.28	52,907.08	66,749.51	78,712.46
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	24,214.56	28,330.29	36,690.44	49,553.83
	भारत सरकार से ऋण	1,835.59	2,047.16	2,339.57	2,764.05
लोक लेखे की देयतायें	11,690.99	13,880.83	13,877.07	14,495.29	15,565.74
समग्रबकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.82	17.27	19.54	26.16	17.92
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,25,163	2,50,882	2,74,042	3,04,063	3,29,180
ऋण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	16.76	17.64	19.31	21.95	23.92
कुल प्राप्त ऋण	7,251.15	5,479.93	9,652.44	14,370.10	19,587.53
कुल ऋण का पुनर्भुगतान	1,250.18	999.88	1,152.63	1,145.89	8,695.03
कुल उपलब्ध ऋण	6,000.97	4,480.05	8,499.81	13,224.21	10,892.50


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में ऋण अदायगी में काफी वृद्धि हुई और वर्ष 2018–19 की तुलना में कुल ऋण प्राप्ति में भी ₹5,217.43 करोड़ (36.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई वर्ष 2019–20 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹ 78,712 करोड़ था।

ऋण के घटक—वार कुट को नीचे चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट—2.13: वर्ष 2019–20 के अंत में बकाया समग्र ऋण का कुट

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2019–20

आंतरिक ऋण जो की मुख्यतः राज्य विकास ऋण को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 77 प्रतिशत था।

चार्ट 2.14 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट-2.14: लिये गये अंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान, बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 23.91 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (21.23 प्रतिशत) से अधिक है, क्योंकि राज्य शासन ने ₹11,680 करोड़ का बाजार ऋण लिया था।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.28 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.28: राजकोषीय घाटे के घटक और उसका वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजकोषीय घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (-)/आधिक(+)	2,366.65	5,520.65	3,417.32	683.76	(-)9,608.61
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69
शुद्ध ऋण तथा आग्रिम	131.69	(-)99.78	(-)230.00	(-)77.80	200.75
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	870.12	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	(-)4,573.71	(-)4,047.27	(-)6,810.32	(-)8,292.23	(-)17,969.55
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप					
बाजार से लिए गए उधार	4,666.75	3,897.68	8,100.00	12,899.99	10,980.00
भारत सरकार से ऋण	(-)18.79	211.57	292.41	360.82	63.66
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	389.09	(-)420.53	(-)431.13	(-)443.74	(-)455.88
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबाड़)	525.92	638.58	691.28	407.14	304.72
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(-)383.80	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	514.30	426.96	640.61	754.51	785.26
जमा तथा अग्रिम	(-)69.54	550.68	120.95	(-)231.39	(-)524.14
उचंत तथा विविध	(-)1,823.27	(-)629.98	(-)1,611.16	(-)5,709.95	4,505.27
प्रेषण	11.94	49.14	70.92	(-)122.43	80.79

अन्य	389.93	639.80	(-)765.14	60.40	814.16
योग	4,202.53	5,363.90	7,108.74	7,975.35	16,553.84
कुल आधिक्य (+) / घाटा(-)	(-) 371.18	1,316.63	298.42	(-) 316.88	(-)1,415.71
योग	4,573.71	4,047.27	6,810.32	8,292.23	17,969.55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन द्वारा उठाए गए बाजार ऋण ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से का वित्तपोषण जारी रखा और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 61 प्रतिशत रही।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.29 में दिखाया गया है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	11,680	700	10,980
2	भारत सरकार से ऋण	279.17	215.51	63.66
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	969.68	664.96	304.72
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2013	1,227.74	785.26
6	जमा तथा अग्रिम	3,823.53	4,347.67	(-)524.14
7	उचंत तथा विविध	1,52,357.5	1,47,852.23	4,505.27
8	प्रेषण	9,010.7	8,929.91	80.79
9	आरक्षित निधि	7,007.85	6,198.61	809.24
10	आकस्मिकता निधि	4.92	0.00	4.92
11	कुल घाटा	1,87,146.35	1,70,592.51	16,553.84
12	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0.00	1,415.71	(-)1,415.71
13	सकल राजकोषीय घाटा	1,87,146.35	1,69,176.8	17,969.55

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

2.6.3 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.30: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
0 से 1	3,808.24	6.31
1 से 3	10,070.51	16.68
3 से 5	13,655.94	22.62
5 से 7	12,165.01	20.15
7 और उससे अधिक	20,682.97	34.25
योग	60,382.67	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

चार्ट-2.15: ऋण परिपक्वता का रूपरेखा

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

31 मार्च 2020 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर 65.75 प्रतिशत से अधिक ऋण का भुगतान करना है। ऋण अदायगी चुकाने के लिए राज्य का दायित्व अगले तीन से पाँच वर्षों यानी वर्ष 2022 से 2025 के दौरान ₹13,655.94 करोड़ (22.62 प्रतिशत) रहेगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

राजकोषीय देनदारियों को स्थिर माना जाता है यदि राज्य शासन निकट भविष्य के लिए इन देनदारियों के भंडार की अदायगी करने में सक्षम है और ऋण—सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अप्रबंध्य अनुपातों तक नहीं बढ़ता है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान, ऋण—सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और ब्याज भुगतान का बोझ वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से अधिक होता रहा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

2.7.1 राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण—सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सरल भुगतान के संदर्भ में ऋण स्थिरता को परिभाषित किया है। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य शासन के लिए राजकोषीय समेकन के लिए सिफारिश की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण भंडार के लिए सीमाएं प्रदान कीं।

चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों के विरुद्ध ऋण भंडार की स्थिति तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: ऋण धारणीयता—राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	राजकोषीय घाटा सापेक्ष सा.रा.घ.उ		ऋण स्टॉक सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)		ब्याज भुगतान सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ	
	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि
	2015–16	3.50	2.03	13.73	16.76	3.33
2016–17	3.50	1.61	15.50	17.64	3.76	5.00
2017–18	3.50	2.49	17.05	19.31	4.07	5.19
2018–19	3.50	2.73	18.40	21.95	4.30	5.61
2019–20	3.50	5.46	19.58	23.91	4.46	7.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं चौदहवें वित्त आयोग

राज्य शासन वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों के नीचे राजकोषीय घाटे को रखने में सक्षम थी यद्यपी वर्ष 2019–20 के दौरान यह लक्ष्य से काफी अधिक था जबकि राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान के अनुपात के लिए लक्ष्य (ब्याज अदायगी का बोझ) हासिल नहीं किया गया। ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी लक्ष्यों के भीतर नहीं था इसके अलावा वर्ष 2015–2020 के दौरान यह 16.60 प्रतिशत से बढ़कर 23.91 प्रतिशत हो गया। अतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ब्याज भुगतान और राजकोषीय देनदारियों में गति को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 के लक्षित स्तर पर राजकोषीय समेकन के लिए प्रत्याशित मार्ग पर नहीं प्रतीत होता है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय/स्थिर नहीं है।

तालिका 2.32 और चार्ट 2.16 उधार ली गई निधियों के उपयोग और उपयोग की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

तालिका 2.32: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)


क्र. सं	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	कुल उधारियों ²	12,902.17	11,803.64	15,851.32	20,736.52	31,921.72
2	पूर्व कर उधारियों का पूनर्भुगतान (मूलधन)	6,066.51	6,113.92	7,202.52	6,923.87	19,958.77
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	6,835.66	5,689.72	8,648.80	13,812.65	11,962.95
4	निवल पूँजीगत व्यय	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	131.69	(-)99.78	(-)230	(-)77.80	200.75
6	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ।	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	3,602.01
7	रोकड़ शेष	निरंक	निरंक	निरंक	4,836.66	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

² अन्य देयतायें सहित कुल उधार

चार्ट-2.16: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियों

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) की स्थिति—आकस्मिक देयताएं

गारंटीयां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत विधायिका द्वारा तैयार किया गया छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गारंटी नियम 2003 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में कुल बकाया गारंटी पिछले वर्ष में राज्य राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसा कि महालेखाकार की पुस्तक में है। राज्य द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गारंटी के लिए दिये गये अधिकतम राशि और बकाया गारंटी तालिका 2.33 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.33: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
गारंटी की अधिकतम राशि	14,883.41	12,641.13	6,549.89	19,573.79	27,994.79
गारंटी की बकाया राशि	1,988.24	3,982.97	3,881.92	10,769.42	18,459.36

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2019 तक, राज्य शासन ने विभिन्न संस्थाओं को ₹11,558.91 करोड़ के ऋण की गारंटी दी। वर्ष 2019–20 के दौरान, इसने ₹8,372.40 करोड़ राशि की और गारंटी दी। वर्ष के दौरान ₹1,471.95 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिस से मार्च 2020 के अंत में ₹18,459.36 करोड़ की गारंटी बकाया थी। गारंटी की बकाया राशि, राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों (₹63,686.70 करोड़) का 28.90 प्रतिशत थी। वर्ष 2019–20 में ₹80.21 करोड़ की प्राप्त शुल्क गारंटी के विरुद्ध ₹34.71 करोड़ रूपये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन महासंघ रायपुर (₹44 करोड़) को दी गई गारंटी से कम प्राप्तियों और अटल नगर विकास प्राधिकरण (₹1.50 करोड़) के कारण प्राप्त हुई।

2.7.4 रोकड़ शेष की प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049—ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है।

तालिका 2.34—रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2019 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2020 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
रिजर्व बैंक में जमा	320.72	(-)1,094.99
अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
योग	0.00	0.00
(अ) सामान्य रोकड़ शेष	320.72	(-)1,094.99
“रोकड़ शेष निवेश लेखा” में किया गया निवेश	9,759.02	5,246.81
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	10,079.74	4,151.82
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.49	12.17
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियों	0.33	0.34
विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	2,185.32	7,232.27
योग (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश	2,198.14	7,244.78
योग (अ) तथा (ब)	12,277.88	11,396.60
अर्जित ब्याज	144.33	196.10

स्रोत : वित्त लेखे 2019–20

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में 2018–19 में ₹12,277.88 से 2019–20 में ₹11,396.60 करोड़ होने पर ₹881.28 करोड़ की मामूली कमी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹0.72 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। शासन ने ₹6,658.68 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया और 2019–20 के दौरान ₹7.33 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

पाँच वर्ष की अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश तालिका 2.35 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.35—रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष—8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज	लिया गया बाजार ऋण
2015–16	(-)1.26	1,856.17	1,857.43	52.96	4,850.00
2016–17	1,856.17	2,512.00	655.83	126.78	4,200.00
2017–18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20	8,100.00
2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33	12,899.99
2019–20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10	11,680.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अंतिम रोकड़ शेष की स्थिति ₹2,833.72 करोड़ (मार्च 2016 के अनुसार) से ₹12,277.88 करोड़ (मार्च 2019 तक) के रूप में बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करती है। हालाँकि 2019–20 के

दौरान ₹881.28 करोड़ नकदी संतुलन पिछले वर्ष कम हो गया। अधिशेष रोकड़ शेष भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया था।

निवेश खाते में अधिशेष नकद राशि ₹5,246.81 करोड़ थी, जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹11,680 करोड़ का बाजार ऋण उठाया था। राज्य शासन के पास मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के तहत बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण अधिशेष रोकड़ शेष था। मार्च 2020 के दौरान राज्य शासन ने ₹5,680 करोड़ का बाजार ऋण लिया, जिसमें से ₹2,680 करोड़ 31 मार्च 2020 को प्राप्त किया गया था। बड़े रोकड़ शेष का निर्माण राज्य शासन के लिए ब्याज लागत के बोझ को बढ़ाता है। राज्य शासन इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ शेष का उपयोग करके उपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

इसके अलावा, राज्य शासन ने रोकड़ शेष निवेश पर 2.61 प्रतिशत की औसत दर से वास्तविक निवेश किया था, जबकि राज्य शासन शासकीय उधारी पर 6.83 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान कर रही थी।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.88 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व में क्रमशः 3.22 और 3.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजट अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 53 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 3.79 प्रतिशत की कमी आई।

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में ऋण पुनर्भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में भी वर्ष 2018–19 की तुलना में ₹5,217.43 करोड़ (36.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹78,712 करोड़ था। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय नहीं है।

2.9 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को वित्त आयोग और राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनरूप अपने वित्तीय मापदण्डों में सुधार के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विभिन्न उपायों का पता लगाना चाहिए।

ii. पूँजीगत व्यय को बढ़ाने की जरूरत है और उधार ली गई निधि का उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। शासन को पूँजीगत परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिये शामिल विभागों को सक्षम करने के लिये त्वरित उपाय शुरू करना चाहिए।

iii. यह आवश्यक है कि राज्य शासन अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायित्वों, जिसमें छोटे अंशदान और निधियों पर ब्याज जो अभी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाना है, तक पहुंचाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करें।

तृतीय अध्याय

बजटीय प्रबंधन

तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभागी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को बिना किसी अपव्यय या धन के विचलन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। यह अध्याय राज्य शासन की आबंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया


छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप-डाउन दृष्टीकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है।

- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और किसी भी हाल के घटनाक्रम जो संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
- अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।
- बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेन्डर शामिल है। इसके साथ जेण्डर और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए हैं।
- इसके बाद, वित्त विभाग भारत के निति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के अदानों को भी शामिल किया गए है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया गया है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने पर, वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिसमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न ईकाईयों से निधियों का पुर्णविनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन ईकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2019–20 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य शासन ने 28 योजनाओं के लिए ₹3,674.84 करोड़ प्रावधनित किया (मूल बजट ₹3,437.08 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹237.72 करोड़) जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं हेतु है। कुल बजट ₹3,674.84 करोड़ में से, केवल ₹2,247.67 करोड़ (61.16 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और ₹1,427.17 करोड़ (38.84 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्णविनियोजित किया गया था। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिखाया गया है।

बजट प्रावधान ₹12,250.94 करोड़, 105 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें वर्ष 2019–20 के दौरान बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षों या उद्देश्य शीर्षों का विवरण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन ने 59 योजनाओं के लिए ₹5,574.00 करोड़ (मूल बजट का ₹4,911.43 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹662.57 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹5,574.00 करोड़ के कुल बजट में से ₹4,239.69 करोड़ (76.06 प्रतिशत) का व्यय हुआ था और ₹1,334.32 करोड़ (23.94 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया था या पूर्णविनियोजित किया गया था, विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹1,183.32 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2019–20 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप–शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार, युवा–केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ–साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों¹ के तहत 260 योजनाओं के लिए ₹24,574.78 करोड़ मूल बजट ₹21,679.69 करोड़ का और अनुपूरक बजट ₹2,895.09 करोड़) का बजट प्रावधान किया। कुल बजट में से ₹15,389.00 करोड़ (62.62 प्रतिशत) के व्यय और ₹9,185.78 करोड़ (37.38 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्णविनियोजित किया गया।

3.3.4 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तिय वर्ष 2019–20 के दौरान, शासन ने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 57 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषण की। नई योजनाओं (एक करोड़ और उससे अधिक) के संबंध में, शासन के कुल ₹621.83 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें से वर्ष के दौरान कोई भी व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक व्यय भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार व्यय किया गया है कि व्यय विधि संबंधित नियामों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2019–20 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिकार्य/बचत के सारांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामिण विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामिण उद्योग विभाग

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत	आधिक्य	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	74,362.81	9,390.82	83,753.63	68,865.38	-15,533.91 (18.55)	645.66 (0.77)	-15,133.44 (97.42)
	पैंजीगत परिव्यय	13,101.83	973.09	14,074.92	8,976.29	-5,098.63 (36.22)	0.00	-3,851.72 (75.54)
	ऋण तथा अग्रिमों	249.16	0.10	249.26	99.65	-149.61 (60.02)	0.00	-149.45 (99.90)
कुल दत्तमत		87,713.80	10,364.01	98,077.81	77,941.32	-20,782.15 (21.19)	645.66 (0.66)	-19,134.61 (92.07)
भारित	राजस्व	5,248.66	621.39	5,870.05	5,578.48	-540.07 (9.20)	248.50 (4.23)	-42.62 (7.89)
	पैंजीगत	30.49	28.59	59.08	46.50	-12.58 (21.30)	0.00	-1.49 (11.84)
	लेक ऋण	2,906.50	0.00	2,906.50	8,695.03	0.00	5,788.53 (199.15)	-629.03
कुल भारित		8,185.65	649.98	8,835.63	14,320.01	-552.65 (6.25)	6,037.03 (68.33)	-673.14 (121.80)
कुल योग		95,899.45	11,013.99	1,06,913.44	92,261.33	-21,334.80 (19.96)	6,682.69 (6.25)	-19,807.75 (92.84)


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019–20

कुल बचत ₹21,334.80 करोड़ (कुल अनुदान / विनियोग का 19.96 प्रतिशत) थी, जिसमें से, ₹19,807.75 करोड़ समर्पित किया गया था और ₹1,527.05 करोड़ (7.16 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत हो गया था। कुल समर्पित राशि ₹19,807.75 करोड़ में से, ₹19,167.81 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2020 को समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चुंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹11,013.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ। आगे विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान ₹19,807.75 करोड़ की राशि का समर्पण किया गया। इस राशि में से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत ₹6,442.01 करोड़ राज्य शासन के द्वारा जारी ही नहीं किये गये थे।

3.4.2 बजटीय निधि का उप-युक्ततम उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय धन का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विंगत पाँच वर्षों के दौरान बजट के उपयोग में प्रवृत्ति वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2015–16 में 73.12 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में 86.30 प्रतिशत तक बढ़ा है। बजटीय प्रावधान पिछले वर्षों के तुलना में पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों के संवितरण का बजट अनुमान का आकार छोटा होने के कारण वर्ष 2019–20 के दौरान बजट का उत्तम उपयोग हुआ। आगे अनुपूरक प्रावधान (बजट प्रावधान का 11.48 प्रतिशत) भी पिछले वर्ष (बजट प्रावधान का 20.24 प्रतिशत) की तुलना में कम हुआ।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही राज्य के समेकित कोष से कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹6,678.35 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्शिक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय
6003–112–विशेष आहरण सुविधा–91 दिवस के जमा पर	6,658.68
6004–09–101–3052–ब्लाक कर्ज	19.67
कुल	6,678.35

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019–20

3.5.2 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)–2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिस उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड–एक की कांडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत अनुभाग में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मुख्यतः किसी सामग्री और स्थानीय चरित्र की बढ़ती हुई ठोस संपत्ति के उद्देश्य के साथ व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थाओं को अनुदान सहायता में व्यय, संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थाओं के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेषतः अधिकृत प्रकरणों को छोड़कर, पूँजीगत शीर्ष लेखे में नामे किया जायेगा।

वर्ष 2019–20 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रदान किए गए ₹1,939.61 करोड़ के अनुदान और वर्गीकृत अनुदान का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, कार्यालय का व्यय ₹0.75 करोड़, ₹8.56 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, और ₹0.29 करोड़ के रख–रखाव कार्य को राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत नियत किया गया है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹करोड़ में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,265.85	1,432.94	2,359.39	1,998.74	1,939.61
कुल पूँजीगत व्यय	7,945.01	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश	15.93	15.13	23.59	22.45	22.64

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग लेखे

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य विधान मण्डल के ₹11,014.00 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 45 अनुदान/विनियोग से संबंधित 35 मामलों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹5,788.81 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय इससे कम था मूल प्रावधान परिशिष्ट 3.4 में दिखाए गए हैं।

कुल 16 अनुदानों/विनियोगों में मुल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये भले ही बचत ₹100 करोड़ और मूल बजट प्रावधान से अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान के बाहर बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
3	पुलिस	4,438.07	4,299.28	-138.80	162.79
8	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	901.88	709.53	-192.35	7.79
13	कृषि	3,972.10	1,561.32	-2,410.78	720.90
24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	1,321.17	677.23	-643.94	11.50
30	पंचायत एवं ग्रमिण विकास विभाग	2,696.97	1,906.11	-790.86	250.11
41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	14,737.07	13,020.67	-1,716.40	2,297.14
47	तकनिकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	361.22	250.77	-110.45	11.22
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,050.50	760.57	-289.92	128.24
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	4,969.68	4,419.79	-549.88	836.24
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	946.24	387.14	-559.10	216.60
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	539.88	-168.64	13.60
	कुल राजस्व दत्तमत	36,103.42	28,532.29	-7,571.12	4,656.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	281.50	147.33	-134.17	21.10
21	अवास एवं पर्यावरण विभाग	366.42	193.74	-172.68	4.81
23	जल संसाधन विभाग	461.09	287.37	-173.72	9.00
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,809.47	2,093.08	-716.39	312.68
45	लघु सिंचाई कार्य	345.51	231.66	-113.85	10.00
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	1,148.73	620.72	-528.01	67.35
67	लोक निर्माण कार्य – भवन	668.35	267.73	-400.62	7.23
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	75.59	-100.15	80.70
	कुल पूँजीगत दत्तमत	6,256.81	3,917.22	-2,339.59	512.87
	कुल योग	42,360.23	32,449.51	-9,910.71	5,169.00

स्रोत : विनियोग लेखे 2019–20

3.5.4 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में अनुदान में एक इकाई (जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है), दूसरी इकाई को (जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है), धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत कुल 358 पुनर्विनियोजन में से, तीन अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित छह मामलों में, पुनर्विनियोग के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.5 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पूनर्विनियोजन पर्याप्त आकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.5: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक्य (+) /कमी (-)
01-2012-03-107-8694-केन्द्रीय निवास की सजावट और मरम्मत	0.08	0.00	0.02	0.10	0.05	-0.05
58-2245-80-800-7727-किट संकरण से बचाव	0.06	0.00	0.11	0.17	0.04	-0.12
67-2059-80-01-0101-3566-मुख्यालय की स्थापना	30.60	0.00	1.00	31.60	24.77	-6.83
67-2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.90	0.00	0.80	1.70	0.37	-1.33
67-4059-01-51-0101-7274-लोक अभियोजन	0.68	0.00	0.10	0.78	0.50	-0.28
CH-1-6003-108-3751-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	0.17	0.00	4.78	4.95	0.17	-4.78

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2019-20

3.5.5 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

68 मामलों में, 20 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के लिए (₹10 करोड़ और उससे अधिक) तक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹4,277.85 करोड़ अप्रयुक्त रहे। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण मामले, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के विना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.6 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.6: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

नाम	कुल प्रावधान
CH1-6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम	660.00
10-2406-04-103-7992- प्रतिकात्मक वन वृक्षारोपन निधि छत्तीसगढ़ में स्थानान्तरण	500.00
69-2217-80-191-7685-स्मार्ट सिटी	396.00
25-4853-01-004-7794-यातायात नेटवर्क (रेल मार्ग)	317.45
25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में स्थानान्तरण	300.00
CH1-6003-110-779-कमियों के पूर्ति के लिये अग्रिमों	264.51
CH2-2049-01-101-2199-नवीन बाजार ऋण	250.00
41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03
40-4705-209-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	115.52

3.5.6 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹21,334.80 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 29 अनुदानों के अंतर्गत हुई, ₹19,558.10 करोड़ की राशि, जो कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत रूप में वर्ष के दौरान समग्र बचत का 90 प्रतिशत है, जिसमें से आठ मामलों में छ: अनुदानों के तहत बचत ₹500 करोड़ से अधिक थी जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, 55 अनुदानों में किए ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण की राशि अनुमानित ₹19,757.85 करोड़ है जो कि परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से 11 अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2019-20 में बचत ज्यादा हुई। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक 11 अनुदानों/विनियोजनों में बजट प्रावधानों का उपयोग तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं	अनुदान	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	वर्षों की संख्या	बजट 2019–20	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		(प्रतिशत)						(रुपयोग में)	
1	02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	68	66	65	58	46	1	32.78	135.95
2	13—कृषि	74	85	83	90	33	1	4707.16	14962.75
3	25—खनिज संसाधन विभाग	71	89	57	32	12	2	725.60	10436.17
4	40—आयाकट विभाग	54	64	39	05	03	3	121.89	492.60
5	43—खेल एवं युवा कल्याण	35	24	27	20	25	5	53.38	408.67
6	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	48	62	36	35	34	4	22 ^ए 10	111 ^ए 09
7	51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व	69	88	83	43	49	2	14 ^ए 44	69 ^ए 03
8	65—विमानन विभाग	97	52	46	52	35	2	120 ^ए 94	420 ^ए 23
9	68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	90	85	45	48	40	3	132 ^ए 27	1017 ^ए 77
10	69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरिय कल्याण	29	64	83	71	33	2	1162 ^ए 83	2223 ^ए 59
11	75—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनायें	71	98	74	66	29	1	700 ^ए 00	2901 ^ए 02

ओत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कुल 11 अनुदानों/विनियोजनों में बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था, जो प्रणालीगत कमीयों का द्योतक है जिसके लिये शासन द्वारा शीघ्र सुधारात्मक उपायों की शुरुआत करने हेतु एक सूक्ष्म समीक्षा की आवश्यकता है।

कुछ विभागों द्वारा मांगे गए और प्राप्त बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से अधिक थे। इसके अलावा, बजट प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन मामलों के दिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। इससे आगे की सीमा, उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) में इस तरह के बदलाव को विनियोन लेखे में समझाया जाना है, जो लोकलेखा समिति (पीएसी) द्वारा निर्धारित किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं (अतिरिक्त/बचत)


1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी हैं:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के

- लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - 2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (शुल्क) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।
 - 3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी हैं:
 - ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
 - उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएंगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है। - 4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (प्रभारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

2019–20 के विनियोग लेख के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 52.61 प्रतिशत मामलों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3161 उप-शीर्षों में से 1498 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है, हालांकि 1663 उप-शीर्षों के उचित कारणों को सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, चार्ट 3.4 में दिए गए हैं।

चार्ट-3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है,

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य शासन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा नियमित रूप से अनुदान/विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान चार अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹6,682.69 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹6,678.35 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्शिवक

अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण निचे तालिका 3.8 में दिया गया।

तालिका 3.8: 2019–20 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	8,876.45	9,459.04	582.59
आदिवासी कल्याण	33	आदिवासी कल्याण	4,073.21	4,133.44	60.23
उच्च शिक्षा	44	उच्च शिक्षा	742.56	745.41	2.85
राजस्व भारित					
ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4,865.24	5,113.33	248.09
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.11	0.46	0.35
महिला एवं बाल कल्याण	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.05	0.05
पूँजीगत भारित					
लोक ऋण	.	लोक ऋण	2,906.50	8,695.03	5,788.53
कुल					
6,682.69					

स्रोत : विनियोग लेखे

वर्ष 2000–01 से 2018–19 के लिए प्रावधानों पर ₹3,261.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण निम्न में दर्शाया गया।

तालिका 3.9: वर्ष 2000–01 से 2018–19 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2000–01	11	2	10.2.1
2001–02	14	2	115.90
2002–03	8	2	114.59
2003–04	4	2	591.12
2004–05	4	5	133.36
2005–06	4	2	23.27
2006–07	4	1	5.13
2007–08	3	3	15.99
2008–09	9	1	115.26
2009–10	10	5	216.77
2010–11	22	6	293.78
2011–12	24	1	498.09
2012–13	2	2	0.96
2013–14	3	3	178.96
2014–15	4	2	833.54
2015–16	3	2	98.24
2016–17	2	3	12.38
2017–18	3	3	2.61
2018–19	2	4	1.67
कुल	136	51	3,261.83

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 1.67 करोड़ विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय किया गया था। हालाँकि, विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019–20 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों में 14 अनुदानों के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹7,893.69 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान अतिरिक्त व्यय को **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ₹221.39 करोड़ के कुल व्यय में से अनुदान संख्या-71—सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी के तहत, मार्च 2020 के दौरान ₹114.99 करोड़ (52 प्रतिशत) व्यय किया गया है। इसके अलावा ₹771.64 करोड़ का व्यय मार्च 2020 में संबंधित शीर्षों के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मुख्य शीर्ष थे। विवरण निम्नलिखित तालिका 3.10 में दिए गए हैं।

तालिका 3.10: व्यय की अतिवेग

(₹करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च माह में कुल व्यय	योजना के कुल व्यय में से मार्च में किये गये व्ययों का प्रतिशत
4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.33	8.51	8.90	4.81	54.06
4801	ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	64.04	0.00	78.05	142.09	78.05	54.93
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.66	0.88	1.86	23.78	27.17	15.20	55.94
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	236.19	0.00	320.45	556.64	320.45	57.57
4415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.45	2.50	15.10	26.05	15.10	57.98
6408	खाद्य, भंडारण एवं भण्डागार के लिये कर्ज	0.00	2.50	0.00	8.39	10.89	8.39	77.04
2853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	11.16	8.59	11.00	136.01	166.77	129.64	77.74
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	200.00	80.00
	कुल	11.82	320.67	65.69	790.29	1188.51	771.64	64.92

स्रोत: विनियोग लेखे और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना

3.6.1 उप-शीर्ष (योजनाएं) जहाँ मार्च 2020 में पूरा व्यय किया गया था

कुल 107 योजना शीर्षों में, पूरा व्यय वर्ष के अंतराल पर किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है। वर्ष के अंत पर व्यय का उच्च प्रतिशत इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है, को बनाए नहीं रखा गया था। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरणों को, जहाँ ₹10 करोड़ या इससे अधिक व्यय की पूर्ण योजना व्यय मार्च 2020 में किया गया, तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: माह मार्च 2020 में ₹10 करोड़ या उससे अधिक की योजना व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	माह मार्च में किये गये समस्त व्यय
17-2425-107-101-5628-कृषक ऋण व्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान	92.13
41-5275-101-102-7861-संचार क्रांति योजना	76.00
41-2425-107-102-5628-कृषक ऋण व्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान	70.02
80-2853-800-101-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	69.86
CH II-2049-101-6403-7.28 प्रतिशत-राज्य विकास ऋण 2027	36.40
15-2853-800-103-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	34.27
41-4515-102-702-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	27.00
19-2210-200-101-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	25.00
64-5275-101-103-7861-संचार क्रांति योजना	24.00
82-2853-800-102-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	23.59
64-2425-107-103-5628-कृषक ऋण व्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु व्याज अनुदान	22.11
41-2210-200-102-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	19.00
30-4515-102-701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	18.00
12-4810-101-101-7897-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना	16.56
19-2210-200-101-6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	10.00

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी

3.7 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2019–20 के दौरान, अनुदान संख्या 13-कृषि को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा आगामी पैरा में की गई है।

3.7.1 अनुदान संख्या 13-कृषि

कृषि विभाग, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। विभाग की नीतियां मुख्य रूप से कृषि निदेशालय के कार्यालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य प्रायोजित कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में लागू की जाती हैं। नौ मुख्य शीर्षों 2401-फसल-कृषि कर्म, 2402-भूमि और जल संरक्षण, 2702-लघु सिंचाई, 2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 4401-फसल-कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 4402-भूमि और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय, 4415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय और 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय इस अनुदान के अंतर्गत संचालित हैं।

3.7.2 बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों की अवधि 2017–20 के दौरान इस अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.12: बजट और व्यय

अनुदान संख्या – 13	2017–18	2018–19	2019–20 (₹ करोड़ में)
कुल बजट प्रावधान	2,325.63	5,637.10	4,707.16
व्यय	1,935.22	5,077.35	1,568.26
बचत	390.41	559.75	3,138.90
बचत (प्रतिशत)	16.79	9.93	66.68
राजस्व प्रावधान	2,320.04	5,629.92	4,693.33
व्यय	1,932.92	5,075.76	1,561.57
बचत	387.12	554.16	3,131.77
बचत (प्रतिशत)	16.69	9.84	66.73
पुँजीगत प्रावधान	5.59	8.08	13.83
व्यय	2.30	1.59	6.70
बचत	3.29	6.49	7.13
बचत (प्रतिशत)	58.86	80.32	51.55

स्रोत : विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2017–20 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 9.93 से 66.68 प्रतिशत तक के बीच थी। सतत बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आकलन का संकेत है और इसके लिये विभाग की बजट तैयारी की समीक्षा की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चला है कि बजट आबंटन पिछले वर्षों की व्यय प्रवृत्ति पर विचार किए बिना, किया गया था जिसके परणामस्वरूप सतत बचत हुई।

3.7.3 बचत का समर्पण

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुसार, एक नियंत्रण अधिकारी को एक अनुदान के तहत प्रत्याशाओं का आकलन करना चाहिए और उन्हें प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पूर्व वित्त विभाग को सूचित करना चाहिए। तालिका 3.12 से यह स्पष्ट है की वर्ष 2019–20 में कुल बजट प्रावधान ₹4,707.16 करोड़ में से ₹3,138.90 करोड़ की बचत हुई, लेकिन विभाग द्वारा बचत का कोई भी हिस्सा वित्तीय वर्ष के अन्त तक समर्पण नहीं किया गया था। बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समय पर बचत न करने के कारण, निधि का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

3.7.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान और योजनाओं के अंतर्गत समर्पण

वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनियमित अनुपूरक प्रावधान के पश्चात समर्पण देखा गया, जैसा की तालिका 3.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

योजना शीर्ष	योजना का नाम	मुल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	कुल व्यय	समर्पण	(₹ करोड़ में)
6366	कृषक सहायता	निरंक	1.00	1.00	निरंक	1.00	
7713	जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्त्रत सोसायटी की स्थापना	निरंक	1.00	1.00	निरंक	1.00	
	कुल	निरंक	2.00	2.00	निरंक	2.00	

स्रोत : विनियोग लेखे

इसके अतिरिक्त, योजना शीर्ष 8972—धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में, यह देखा गया की यद्यपि ₹2,500 करोड़ के मूल अनुदान में से ₹187.52 करोड़ का कुल व्यय किया गया, तथापि ₹575.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, जिससे ₹2,887.97 करोड़ समर्पण हुआ जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

योजना शीर्ष	योजना का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	समर्पण	कुल व्यय	(₹ करोड़ में)
8972	धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2500.00	575.50	3075.50	2887.97	187.52	

स्रोत : विनियोग लेखे

वास्तविक व्यय (₹187.52 करोड़) मूल प्रावधान (₹2,500 करोड़) से कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹575.50 करोड़) अनावश्यक साबित हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹2,887.97 करोड़ का समर्पण हुआ।

3.7.5 योजना शीर्षों के अंतर्गत सतत् बचत्

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुच्छेद 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान भी बहुत अधिक हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें विगत तीन वर्षों से संबंधित अनुमान और वास्तविक के अंतर का परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी के आधार पर होनी चाहिए।

वर्ष 2017–20 के दौरान पाँच योजना शीर्षों में सतत् बचत् हुई।

तालिका 3.15: सतत् बचत् योजना शीर्षों के तहत

योजना	2017–18			2018–19			2019–20		
	प्रावधान	बचत्	बचत्	प्रावधान	बचत्	बचत्	प्रावधान	बचत्	बचत्
	₹ करोड़ में	प्रतिशत	₹ करोड़ में	प्रतिशत	₹ करोड़ में	प्रतिशत	प्रतिशत		
7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	131.00	131.00	100	93.00	93.00	100	6.20	6.20	100
7661—एन.एम.ई.टी. सबमिशन ऑन प्लॉट प्रोटेक्शन एंड क्वारेटाईन योजना	0.50	0.50	100	0.50	0.50	100	0.20	0.20	100
7268—एन.एम.एस.ए क्लाईमेट चेन्ज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मोडलिंग एवं नेटवर्किंग	0.29	0.29	100	0.81	0.81	100	0.81	0.81	100
6929—सहायक यंत्री का कार्यालय	0.10	0.10	100	0.10	0.10	100	0.10	0.10	100
7766—कृषी संबंधित योजना का तृतीय पक्ष की मूल्यांकन	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100

स्रोत : विनियोग लेखे

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017–20 के दौरान उपरोक्त योजना शीर्षों के अंतर्गत 100 प्रतिशत की सतत् बचत् यह इंगित करती है कि विभाग में बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत् की सीमा तक निधि की आवश्यकता ही नहीं थी।

कृषि विभाग के निदेशक (दिसम्बर 2020) ने स्पष्ट किया कि बजट प्रावधानों का विभिन्न कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका है, जैसे कि शासन से मंजूरी न मिलना, शासन द्वारा पूँजीगत व्यय का अनुमोदन न करना, प्रक्रिया में देरी के कारण निधि का अनुपयोग होना आदि।

3.7.6 वर्ष 2019–20 के दौरान सम्पूर्ण बजट प्रावधान की बचत

वर्ष 2019–20 के दौरान इन योजनाओं में सम्पूर्ण बजट प्रावधन का अनुपयोगी रहना यह दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और आकलन में योजना की आवश्यकता अवास्तविक थी। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: बजट प्रावधान का गैर-उपयोग

(₹ करोड़ में)

योजना शिर्ष	योजना का नाम	बचत/समर्पण
7283	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	5.00
7768	जैविक प्रमाणीकरण संस्था	0.60
7268	एन.एम.एस.ए.क्लार्टीमेट चन्ज एण्ड सर्टेनेबल एग्रीकल्चर माडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	0.46
7945	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	2.50
7831	कृषि जलवायु क्षेत्रों के सर्वेक्षण द्वारा अनुसंधान का विकास	0.15
7766	कृषी संबंधित योजना का तृतीय पक्ष की मूल्यांकन	0.05
7676	संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	0.50
7837	उद्यानिकी फसलों को बेसलाईन सर्वे	1.20
7968	जैविक खाद का उत्पादन प्रत्साहन (जिवामृत)योजना	0.05
7969	औषधीय तथा सुगन्धित फसलों का क्षत्र विस्तार योजना	0.32
7853	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	5.00
2981	बीज संवर्धन और वितरण	1.00
7661	एन.एम.ई.टी. सबमिशन ऑन प्लॉट प्रोटेक्शन एंड क्वारेटाईन योजना	0.20
6929	सहायक यंत्री कार्यालय	0.10
6788	संचलनालय उद्यानिकी	0.06
7970	प्लग टाईप युनिट की स्थापना	2.00
4288	संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला)	1.00
7713	जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्त्र सोसायटी की स्थापना	1.00
	योग	21.37

स्रोत : विनियोग लेखे

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2020) कि राशि का अनुपयोग मुख्य रूप से विभिन्न कारणों से था जैसे कि अनुदान को शासन द्वारा निधि जारी नहीं करना, योजना के दिशानिर्देशों की अनुपलब्धता, आकस्मिक दावों की अनुपलब्धता, राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त न करना।

3.8 निष्कर्ष

राज्य शासन की बजटीय अनुमान 2019–20 के दौरान वास्तविक नहीं थी और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त थी। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2019–20 के दौरान चार अनुदान और दो विनियोजन से संबंधित ₹6,682.69 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। नियंत्रण अधिकारियों ने समय पर धनराशि का समर्पण नहीं किया। व्यय के आधार पर आवंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

बचत से बचने के लिये सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से जहाँ सतत बचत होती रही और अनुपूरक अनुदान लेने से बचने के लिये जो अनुपयोगी रहे ।

3.9 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को विभागों की आवश्यकताओं की विश्वसनीय मान्यताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- ii. शासन द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत पर अंकुश लगाया जा सकता है, अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पण किया जाता है।
- iii. बजट के समुचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखों की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए आबंटन से व्यय में भिन्नता समझाने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।

चतुर्थ अध्याय

लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

चतुर्थ अध्याय—लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता समिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली में निहित नियम संख्या 182 निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय आधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प)प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिये हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कुल ₹3,770.86 करोड़ लागत की कुल 256 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थी, जिसमें 15 विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आयु—वार स्थिति तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: आयु—वार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		प्रस्तुतिकरण के लिये लंबित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017–18 तक	1,407	5,016.79	299	2,318.51	1,389	4,921.89	317	2,413.41
2018–19	317	2,413.41	257	4,651.19	40	45.26	534	7,019.33
2019–20	534	7,019.33	305*	5,042.69*	278	3,248.47	256	3,770.86

* वर्ष 2019–20 के दौरान दिये गये अनुदान वर्ष 2020–21 में देय होंगे।

विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये विभिन्न विभागों द्वारा विगत वर्षों में कुल ₹3,770.86 करोड़ व्यय किये गये एवं विभागों द्वारा यह राशि का व्यय किस प्रकार किया गया इसका कोई भी विवरण नहीं दी गयी जो चिंता का विषय है, चूंकि यह राशि लोक निधि से संबंधित है तथा व्यय किये गये राशि से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है इसकी कोई आश्वासन भी नहीं है।

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या एवं राशि की आयु—वार विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार विच्छेदित स्थिति

(₹ करोड़ में)


वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2008–09	01	0.01
2009–10	02	0.99
2010–11	00	0.00
2011–12	00	0.00
2012–13	15	21.86
2013–14	14	25.39
2014–15	00	0.00
2015–16	00	0.00
2016–17	00	0.00
2017–18	45	229.20
2018–19	179	3,493.41
योग	256	3,770.86

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े

विगत वर्ष 2008–09 से मुहैया कराई गई निधि की व्यय से संबंधित जबावदेही के अभाव में, निधियों के दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तालिका 4.2 से यह स्पष्ट है कि कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की 87.50 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र विगत दो वर्षों जो कि वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 से संबंधित हैं। वर्ष 2018–19 तक दिये गये अनुदानों की विभागवार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विच्छेदित जानकारी परिशिष्ट 4.1 के माध्यम से दर्शाया गया है। पाँच मुख्य विभागों की कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति चार्ट 4.1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: पाँच मुख्य विभागों की वर्ष 2018–19 तक दिये गये अनुदानों के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। बड़ी संख्या में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, निधियों के दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

4.2.1: सहायता अनुदानों की राशि को शासकीय लेखों से बाहर रखना।

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन राज्य/ज़िला स्तरीय संस्थानों/स्वायत निकायों एवं प्राधिकरणों/समाजों/गैर-सरकारी संस्थानों

इत्यादि को अनुदान के रूप में निधि प्रदान करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹22,268.35 करोड़¹ की राशि राज्य शासन द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन संस्थानों को राज्य योजना/कार्य/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिया गया। चूंकि क्रियान्वयन संस्थानों द्वारा वित्तीय वर्ष में निधियों को पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया तथा पर्याप्त राशि बिना व्यय किये इन क्रियान्वयन संस्थानों के बैंक खाते में रखे गये थे।

क्रियान्वयन संस्थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायता अनुदानों कि उपयोगिता एवं बैंक खातों में व्यय नहीं किये गये राशि का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3 : सहायता अनुदानों की राशि को शासकीय लेखों से बाहर रखना।

(₹करोड़ में)

क्र.सं	क्रियान्वयन संस्थानों के नाम	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्त सहायता अनुदान	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय	बैंक खातों में रखी गयी राशि
1.	जिला पंचायत, धमतरी	59.60	57.95	1.65
2.	नगर पालिका परिषद, सारंगढ़	16.48	14.18	2.30
3.	मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद	117.07	111.19	5.88
4.	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (अमृत योजना)	311.01	275.81	35.20
5.	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (डे नुल्म)	45.00	18.14	8.86
6.	जिला पंचायत, बिलासपुर	174.45	160.51	13.94
7.	जिला पंचायत, रायपुर	182.88	148.34	34.54
8.	नगर पालिका परिषद, कटघोरा	4.19	1.57	2.62
9.	जिला पंचायत, फारसगांव	5.41	4.88	0.53
10.	सी०एच०आई०पी०एस० (चिप्स)	1.50	0.00	1.50
11.	आई०आई०आई०टी०, रायपुर	25.00	22.44	2.56
12.	नगर पालिका परिषद, चांपा	20.86	16.86	4.01
13.	नगर पंचायत, बेमेतरा	1.37	0.61	0.76
14.	नगर पंचायत, पल्लारी	6.98	6.10	0.88
15.	सिक्कल सेल संस्थान, रायपुर	5.25	2.74	2.51
16.	सिक्कल सेल प्रोजेक्ट, रायपुर	1.25	0.59	0.66
17.	आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय	5.0	4.73	0.27
18.	नगर पंचायत, कुनरा, रायपुर	8.65	6.88	1.76
19.	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, रायपुर	1.0	0.60	0.40
20.	मानवाधिकार आयोग, छत्तीसगढ़	2.92	2.49	0.43
21.	निदेशालय, शहरी प्रशासन एवं विकास, दुर्ग	4.60	1.90	2.70
22.	जिला पंचायत, बिजापुर	78.57	45.31	33.26
23.	नगर पंचायत, डॉगरगांव	1.15	0.10	1.05
24.	नगर पंचायत, पुष्ठौर	6.14	5.87	0.27
25.	नगर पंचायत, पंडरिया	11.24	9.54	1.70
26.	नगर पंचायत, खोरीद	4.43	3.15	1.28
27.	नगर पंचायत, बोदरी	7.58	4.47	3.11
28.	नगर पालिका परिषद, कुम्हारी	19.31	15.42	3.89
29.	एन०आर०एच०एम०, रायपुर	1,194.84	1,149.38	45.46
30.	श्री बी०आर०कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	5.80	5.31	0.49
कुल		2,329.53	2,097.06	214.47

स्रोत: विभिन्न क्रियान्वयन संस्थानों से प्राप्त जानकारी

सहायता अनुदानों के अनुपयोगिता अथवा अल्प उपयोगिता के कारण, उन उद्देश्यों कि पूर्ति असफल रही, जिनके लिये यह सहायता अनुदान जारी किये गये थे।


¹ सहायता अनुदान पर व्यय ₹20,328.74 करोड़ तथा पूजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु सहायता अनुदान ₹1,939.61 करोड़

4.3 लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयकों (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देनी है।

31 मार्च 2020 को, छत्तीसगढ़ शासन के 18 विभागों ने 315 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध में ₹201.59 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नहीं किया है। वर्ष 2019–20 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग—वार जानकारी परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है। पॉच प्रमुख विभागों के जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों से सम्बंधित स्थिति चार्ट 4.2 में दिया गया है।

चार्ट 4.2 : पॉच प्रमुख विभागों जो विस्तृत आकस्मिक देयक जमा नहीं किये



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

वर्ष 2019–20 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष—वार जानकारी तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंत: शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष 2017–18 तक	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95
2018–19	160	132.95	911	1,304.50	783	1,252.80	288	184.65
2019–20	288	184.65	277	3,275.53	250	3,258.59	315	201.59

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

31 मार्च 2020 की स्थिति में, ₹201.59 करोड़ के 315 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, जिसमें से 19 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.23 करोड़), 96 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹1.14 करोड़) एवं 200 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹200.22 करोड़) क्रमशः 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 से संबंधित हैं।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक न जमा किया जाए तो यह न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/गबन/दुरुपयोग की संभावना को भी बढ़ावा देती है। अतः विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को करीब से निगरानी की आवश्यकता है। विस्तृत आकस्मिक देयकों की अप्राप्ति

की सीमा तक, वित्तीय लेखों में दर्शाये गए व्यय को सही एवं अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं के सामयिकता एवं गुण

राज्य शासन के लेखायें 28 जिला कोषालयों, 53 वन मण्डलों, 29 ग्रामीण अभियांत्रिक सेवायें तथा 155 अन्य मण्डलों² द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मासिक लेखों के प्रतिपादन में कोषालयों द्वारा 01 से 15 दिन, लोक कार्य मण्डल द्वारा 01 से 80 दिन एवं वन मण्डल द्वारा 01 से 20 दिन तक का विलंब था।

राज्य शासन को इसकी ध्यान से परिवीक्षा करने की आवश्यकता है कि, जितने भी लेखा प्रतिपादित करने वाले प्राधिकरण हैं, इनके बजट को और भी प्रभावी ढंग से संचलित करने हेतु, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय पर यह लेखायें प्रतिपादित करें।

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष

वैसे लेन—देन जिन्हें समापक लेखा शीर्षों में किसी अन्य कारण से प्रारंभ में नहीं दर्ज किया जा सकता है, शासकीय लेखों में प्रतिबिंबित करने हेतु उचंत शीर्षों का संचालन किया जाता है। जब यह राशि समापक लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है तब अंततः इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि असमायोजित रह जाती है तो इन शीर्षों के अंदर शेष राशि जमा होने के कारण शासन की प्राप्तियाँ एवं भुगतानों को कम दर्शाता है।

प्रेषण में उन सभी लेन—देनों को शामिल किया जाता है, जो लेखा शीर्षों से समायोजित है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिट को उसी लेखा मण्डली अथवा अन्य में उसके तत्त्वानी डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय लेखों, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में अलग से बकाया डेबिट एवं क्रेडिट को समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों को निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति तालिका 4.5 में दी गयी है।

तालिका 4.5: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

मुख्य शीर्ष 8658—उचंत—लघु शीर्ष	(₹ करोड़ में)					
	2017–18		2018–19		2019–20	
नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	
101—वैतन एवं लेखा कार्यालय—उचंत	54.38	0.14	52.55	18.83	67.35	19.50
निवल	नामे 54.24		नामे 33.72		नामे 47.85	
102—उचंत लेखा (सिविल)	19.26	0.98	32.44	0.17	30.81	0.17
निवल	नामे 18.28		नामे 32.27		नामे 30.64	
109—रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	(−)0.67	(−)0.08	2.61	3.02	0.03	0.68
निवल	जमा 0.59		जमा 0.41		जमा 0.65	
110—रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.14	0.00	1.72	0.00	3.57	0.01
निवल	नामे 0.14		नामे 1.72		नामे 3.56	
112—स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	0.00	84.04	0.00	65.08	0.00	71.10
निवल	जमा 84.04		जमा 65.08		जमा 71.10	
113—भविष्य निधि उचंत	42.58	0.00	46.08	0.00	44.35	0.00
निवल	नामे 42.58		नामे 46.08		नामे 44.35	

² 53 लोक निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग(जल संशोधन विभाग), 36 लोक स्वास्थ्य यंत्रिकि संभाग तथा चार सड़क विकास संभाग

123—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.17	0.00	0.16	0.00	0.19
निवल	जमा 0.17		जमा 0.16		जमा 0.19	
129—सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00	85.40	0.00	84.11	0.00	84.11
निवल	जमा 85.40		जमा 84.11		जमा 84.11	
मुख्य शीर्ष 8782—नगद प्रेषण						
102—लोक निर्माण प्रेषण	18.29	11.50	112.34	9.13	74.83	42.43
निवल	नामे 6.79		नामे 103.21		नामे 32.40	
103—वन प्रेषण	10.84	7.11	37.83	5.22	36.20	5.44
निवल	नामे 3.73		नामे 32.61		नामे 30.76	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

यदि इन उचंत शीर्षों में राशियों असमायोजित रहती है तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाते हैं जिसके कारण शासन की प्राप्तियों एवं भुगतानों को कम दर्शाया जाता है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष का गैर निस्तारण, राज्य शासन की प्राप्तियों/व्ययों के आंकड़ों की परिशुद्धता एवं विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों (जो कि वर्ष प्रतिवर्ष अप्रेनीत होता है) को प्रभावित करता है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खातों

विशिष्ट परिस्थितियों में, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों से निधियों का हस्तांतरण सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य के संचित निधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती है। कोषालय संहिता भाग.—एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, प्रशासकों का ऐसे खाते वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर बंद करने तथा व्यय नहीं किये गये शेष राशि को वापस संचित निधि में हस्तांतरित करने की अवश्यकता है ताकि अगले वर्ष यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को पुनः खोला जा सके, हालाँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

वर्ष 2015–20 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर व्यक्तिगत जमा खातों में रखें निधियों की स्थिति तालिका 4.6 प्रदान करता है।

तालिका 4.6: वर्ष 2015–20 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियों		वर्ष के दौरान संवृत्तियों/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016–17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2018–19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
2019–20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

तालिका 4.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 17 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 106 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2020 की स्थिति में 223 व्यक्तिगत जमा खाते संचालन में थें तथा जिसका अंतःशेष की राशि ₹1,585.26 करोड़ रहा। राज्य शासन ने ₹0.27 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 2056 से आहरण किया गया तथा उन्हें व्यक्तिगत जमा खातों में जमा करवा दिया, जिनकी जानकारी तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण दिखाता है कि यह बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया था।

तालिका 4.7 : मार्च 2020 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

क्र.सं.	प्रबंधक	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	निरीक्षक, केंद्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.27
	योग		0.27

व्यक्तिगत जमा खातों में व्यय नहीं किये गये शेष राशियों का राज्य के संचित निधि में गैर-हस्तांतरण, लोक निधि का दुरुपयोग, दुर्विनियोग, गबन के जोखिम पर जोर देता है। आगे, विभागीय अधिकारियों ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित शेषों का सत्यापन/पूनः मिलान नहीं किया।

4.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1,585.26 करोड़ में से भू-अर्जन की राशि ₹ 1,280.15 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ी रही। भू-अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय-वार विवरण **तालिका-4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि

क्र.सं.	कोषालय का नाम	(₹ करोड़ में)
1	बिलासपुर	355.37
2	रायपुर	259.89
3	रायगढ़	186.14
4	जांगीर-चांपा	78.73
5	अविंकापुर	65.78
6	बलरामपुर	51.79
7	गरियाबंद	42.07
8	कोरबा	41.44
9	जगदलपुर	35.90
10	राजनांदगाँव	34.74
11	महासमुन्द	29.22
12	कबीरधाम	13.48
13	जशपुर	13.40
14	कोरिया	12.94
15	सुरजपुर	11.21
16	कांकेर	10.90
17	दुर्ग	6.79
18	कोणडागाँव	6.61
19	दतेवाडा	6.44
20	बलोदाबाजार	5.30
21	धमतरी	4.81
22	मुंगेली	4.54
23	बेमेतरा	2.48
24	बीजापुर	0.18
	योग	1,280.15

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में कोषालय आधिकारी द्वारा खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता को बंद किया जाना चाहिए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 223 व्यक्तिगत जमा खातों में 11 व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि ₹ 0.96 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2020 की स्थिती में तीन वर्षों से अधिक तक असंचालित रहा। हालाँकि इन लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अंधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

4.7 केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है। वर्तमान लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहयता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क एवं पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449—अन्य जमा — 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 371.61 करोड़ जारी किये, जिसमें से मात्र ₹ 198.55 करोड़ राज्य शासन द्वारा लोक लेखा के '8449—अन्य जमा — 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित किया गया था।

4.8 राज्य के संचित निधि अथवा लोक लेखों से बाहर रखे गये निधि

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष— 8443 सिविल जमा — 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप—शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पुथक करना संभव नहीं है।

4.8.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 4.9 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4.9: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष	(₹ करोड़ में)
		पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज				
2017–18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45	
2018–19	273.45	0.95	199.71	19.99	494.10	193.57	300.53	
2019–20	300.53	9.93	163.62	21.81	495.89	115.09	380.80	

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय ₹115.09 करोड़ में से बोर्ड द्वारा ₹112.62 करोड़ (97.85 प्रतिशत) कल्याणकारी याजनाओं पर, और ₹2.47 करोड़ (2.15 प्रतिशत) स्थापना शुल्क पर व्यय किया है।

राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों जैसे कि मातृत्व लाभ, भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, रसोई गैस एवं चूल्हे का वितरण इत्यादि का संचलन किया है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर की गयी व्यय की जानकारी तालिका 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
2016–17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017–18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.00
2018–19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,847	51.78	48.75	33.79
2019–20	495.89	21	367.32	96.57	20,00,567	3,90,818	19.54	26.29	19.47

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 19.47 प्रतिशत का उपयोग किया जा सका और वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 19.54 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभावित्त किया गया।

उपलब्ध ₹380.80 करोड़ का धनराशि के उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक इन विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गये।

लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि विभागों द्वारा कुल संग्रहित उपकरों (₹33.48 करोड़) में से केवल ₹31.71 करोड़ (पूर्व वर्षों के शेष भी शामिल), मण्डल को हस्तांतरित किया गया तथा शेष ₹6.66 करोड़ मुख्य शीर्ष 8443–लोक लेखा के अंतर्गत रखा गया। विभाग–वार अल्प हस्तांतरण की जानकारी तालिका 4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11 : श्रम उपकरों का मण्डल को विभाग–वार अल्प हस्तांतरण

विभाग का नाम	अल्प हस्तांतरण (₹ करोड़ में)
लोक निर्माण विभाग	5.22
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकि विभाग	0.31
ग्रामीण अभियंत्रिकि सेवाएँ (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.25
ग्रामीण विकास संभागों (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.88
योग	6.66

4.9 लघु शीर्ष –800 में समायोजन


लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष–800 का सामान्य संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं कार्यक्रमों आदि का खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

कुल 41 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज राजस्व प्राप्तियाँ ₹3,447.19 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹63,868.70 करोड़ का 5.40 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। आगे, 15 मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹450.28 करोड़ में से ₹450.63 करोड़ (100 प्रतिशत) शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ संबंधित मुख्यशीर्ष के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों की 52.38 से 106.46 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है।

इसी प्रकार, 34 राजस्व शीर्षों तथा 12 पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत व्यय ₹ 976.82 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय ₹82043.70 करोड़ का 1.19 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। नौ मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व और पूँजी) के ₹603.64 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹837.97 करोड़ का 72.04 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800–अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 52 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, अनुपयुक्त वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करता है जैसा कि परिशिष्ट–4.4 में दिखाया गया है।


वर्ष 2015–20 के मध्य कुल प्राप्तियों एवं व्यय की तुलना में प्राप्ति एवं व्यय के लिये लघु शीर्ष –800 का परिचालन प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.3 एवं 4.4 में दर्शाया गया।

चार्ट 4.3 : वर्ष 2015–20 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.4: वर्ष 2015–20 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

इस विषय को राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान 5.40 प्रतिशत गत वर्ष 4.22 प्रतिशत के तुलना में लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों में अल्प वृद्धि हुई है। जबकि व्यय की तरफ यह वर्ष 2018–19 में 1.41 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में कम होकर 1.19 प्रतिशत हो गई। तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में प्राप्तियों एवं व्यय का वर्गीकरण संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज करना एक गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4.9.1 रायल्टी का अनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाना

संघ एवं राज्य के मुख्य एवं लघु लेखों शीर्षों की सूची के अनुसार खानों से प्राप्त रॉयल्टी का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुक्रम उद्योग—लघु शीर्ष 102—खनीज रियायत शुल्क, किराये और रॉयल्टी में होना चाहिए।

मुख्य एवं लघु शीर्ष 0853—800 के चालानों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष 0853—800 के अंतर्गत ₹1,386.47 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति के सामने ₹1.85 करोड़ की प्राप्त रॉयल्टी को लघु शीर्ष –102—खनीज रियायत, शुल्क, किराये और रॉयल्टी की जगह जैसा कि लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी तालिका 4.12 में दर्शायी गई है।

तालिका 4.12 : राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की जानकारी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कोषालय / बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज कुल प्राप्तियों
1	रायपुर	89	0.51
2	मुंगेली	2	0.41
3	बैंकुण्ठपुर	18	0.36
4	राजनांदगाँव	5	0.32
5	कोण्डागाँव	4	0.08
6	रायगढ़	4	0.06
7	धमतरी	2	0.04

8	बलौदाबाजार	3		0.03
9	कोरबा	12		0.03
10	बेमेतरा	1		0.01
11	केशकाल	2		#.00
12	जगदलपुर	1		*.00
	योग	143		1.85

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

₹34,932.00 और * ₹21,935.ए०

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) कहती है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत् पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग को एवं शेष कुल रॉयल्टी राजस्व का 67 प्रतिशत् संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत को संवितरित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कही हुई प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्ष 0853 (गैर अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग) के अंतर्गत लघु शीर्ष 102 (खनीज रियायत शुल्क, किराया और रॉयल्टी) का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों में होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को हुई पर्याप्त राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।


4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों के लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियंत्रक अधिकारियों को व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण एवं बजटीय आवंटन का कुशल प्रबंधन तथा उनके लेखों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्तियों का 85.74 प्रतिशत् तथा व्ययों का 53.60 प्रतिशत् का मिलान किया गया, जबकि वर्ष 2018–19 के लिये यह आंकड़े प्राप्तियों का 32.84 प्रतिशत् तथा व्ययों का 56.53 प्रतिशत् था।

तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2017–20 के दौरान नियंत्रक अधिकारीयों के द्वारा प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान की स्थिति चार्ट 4.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2017–20 के दौरान मिलान की स्थिति



स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संकलित आंकड़े

विंगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका 4.13: प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान के स्थिति

वर्ष	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत	(₹ करोड़ में)
								प्राप्तियाँ
2017–18	40	12	00	28	69,442.66	20,199.98	29.09	
2018–19	40	13	00	27	79,641.08	26,157.33	32.84	
2019–20	40	14	14	12	83,717.84	71,783.68	85.74	
व्यय								
2017–18	94	24	01	69	67,600.42	15,778.00	23.34	
2018–19	94	44	20	30	74,710.82	42,232.60	56.53	
2019–20	94	19	39	36	90,794.89	48,667.61	53.60	

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकड़े

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोडल प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता को कारण ना केवल प्राप्तियाँ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बाल्कि बजटीय प्रक्रिया की उद्देश्य को भी मात देती है।

4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोकड़ शेष में ₹ 8.96 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अन्तर था। यह अंतर प्रत्यायित बैंक द्वारा केंद्रिय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन के रोकड़ शेष की रख-रखाव की है, को गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने के कारण है।

4.12 भारत सरकार के लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, जो सरकारी लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों को लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक तीन भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इन मानकों का विवरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन मानकों उनके वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण में अनुपालन तालिका 4.14 में किया गया है।

तालिका 4.14: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों के सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
भा.स.ले.मा–1 सरकार द्वारा प्रत्याभूति (गारंटी)–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक की आवश्यकता है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये अधिकतम प्रत्याभूतियों को परिग्रहितयों, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ उनके वित्तीय विवरण में प्रकट करें।	अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने अंतिम लेखों में वर्ष 2019–20 के दौरान दिये गये अधिकतम प्रत्याभूतियों परिग्रहितयों, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ मार्च 2020 तक प्रकट किया है।

भा.स.ले.मा-2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के निरपेक्ष वर्गीकृत किया जाये।	अनुपालन नहीं किया गया	राज्य शासन ने बजटीय प्रावधान बनाया एवं ₹1,936.61 करोड़ के सहयता अनुदान को बिना महालेखाकार के सहमती प्राप्त किये, पूँजीगत श्रेणी में रख दिया। वर्ष में देय सहायता अनुदानों के प्रकार की कोई सूचना भी नहीं प्रस्तुत किया। अनुपालन नहीं किये जाने के कारण राजस्व घाटा को कम एवं पूँजीगत व्यय को बढ़ाकर दर्शाया गया।
भा.स.ले.मा-3 सरकार द्वारा बनाए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये लोन एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकरूपीया लेखांकन प्रथा को सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	अनुपालन किया गया	इस मानक में उल्लेखित सभी प्रकटीकरण को वित्तीय लेखों में शामिल किया गया है। अतिरिक्त प्रकटीकरण से सम्बंधित सूचना जैसे कर ऋणों के बकाया राज्य शासन द्वारा निर्धारित भारत सरकार के लेखांकन मानक-3 के प्रारूप में प्राप्त किये जा चुके हैं।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये हैं, जिसमें से केवल चार स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को न्यासित किया गया है। सितम्बर 2020 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण तालिका 4.15 में प्रदर्शित है।

तालिका 4.15: लेखों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुभाग	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष लेखों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	लेखों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ़ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2016–17	वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	30 (2017–18) 18 (2018–19) 06 (2019–20)
02	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 और उससे आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	54 (2015–16) 42 (2016–17) 30 (2017–18) 18 (2018–19) 06 (2019–20)
03	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	2011–12 के बाद न्यासित नहीं किया गया।
04	छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2019–20 से आगे	2019–20 ³	..	06 (2019–20)

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, डीपीसी एक्ट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत मार्च 2019 को न्यासित किया गया।

³ वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेख दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ है।

4.14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् सितम्बर माह तक तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹50,000 से ₹5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 1 अक्टूबर 2020 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 4.16 दर्शाया गया है:—

तालिका 4.16: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	28	2	30
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	27	1	28
3	बकाया लेखे की संख्या	44	3	47
4(अ)	दो से छः वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	7	1	8
4(ब)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	22	3	25
5(अ)	एक वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया लेखे की संख्या	20	0	20
5(ब)	एक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	22	0	22
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1 से 3	1 से 4

स्रोतः— कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े

राज्य शासन 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2020 तक लंबित थे, ₹ 17,610.71 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 4.5 में दिया गया। हालांकि अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई भी बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई। इस कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे।

उपरोक्त कथन इस बात का घोतक है कि प्रशासनिक विभागों, विशेष रूप से वित्त विभाग, चूक करने वाली कंपनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करती हैं यह सुनिश्चित करने में विफल रही है।

वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।

4.15 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पूलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2020 की स्थिति में, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल 2,112 लंबित मामलों में से निर्णयक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.74 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग—वार तथा श्रेणी—वार विभाजन परिशिष्ट—4.6 में दिया गया है। मामलों का वर्ष—वार विश्लेषण परिशिष्ट—4.7 में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु—रूपरेखा और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि की तालिका 4.17 में दी गई है।

तालिका 4.17: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति			(₹ करोड़ में)
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि	
0 – 5	258	9,71	चोरी	138	0.55	
5 – 10	510	91,13	सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,904	119.78	
10 – 15	262	11,52	गबन	70	5.41	
15 – 20	203	3,52	लंबित प्रकरणों का योग	2,112	125.74	
20 – 25	222	4,48				
25 से अधिक	657	5,38				
योग	2,112	125.74				

स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

कुल 2,112 प्रकरण में से वन विभाग तथा शिक्षा विभाग में क्रमशः 524 तथा 39 प्रकरण, जो 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,112 प्रकरणों में से 357 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज हुए हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 40 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2019–20 के दौरान ₹8.78 लाख वसूल किया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट—4.8 में है।

4.16 आफ बजट उधार

छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.) को कैनरा बैंक से ₹800 करोड़ लोन लेने के लिए प्रत्याभुति दी (2031 तक मान्य)। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल) को भी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु दो वित्तीय संस्थानों इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़) एवं कैनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ लोन लेने के लिए प्रत्याभुति दी। आगे, शासन ने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राज्य शासन के अंश (शेयर) भुगतान हेतु वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ लोन लेने हेतु ब्लॉक प्रत्याभुति जारी की।

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न जिलों में 6424 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान कैनरा बैंक से ₹82.58 करोड़ का लोन लिया। इसी तरह, वर्ष 2019–20 के दौरान सी.पी.एच.सी.एल. ने भी पुलिस कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹54.35 करोड़ एवं कैनरा बैंक से ₹57.33 करोड़ का लोन लिया। आगे सूडा ने भी वर्ष 2019–20 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन में राज्य शासन के अंशदानों (शेयर) के भुगतान के लिए एस.बी.आई. से ₹500 करोड़ का ऋण लिया।

राज्य शासन ने वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान लोन के ब्याज हेतु छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को ₹90.77 करोड़, सी.पी.एच.सी.एल. को ₹77.90 करोड़ एवं सूडा को ₹13.83 करोड़ जारी किए। इन ईकाइयों द्वारा बैंक को कुल ₹208.10 करोड़ (सी.एच.बी.: ₹111.37 करोड़ ब्याज के लिये, सी.पी.एच.सी.एल.: ₹64.69 करोड़ का ब्याज एवं ₹6.42 करोड़ का मूलधन के लिये एवं राज्य शहरी

विकास प्राधिकरण: ₹25.67 करोड ब्याज के लिये) का भुगतान किया गया। बजट में ब्याज भुगतान हेतु प्रावधान किया गया था। तालिका 4.18 में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 4.18: किया गया बजट प्रावधान, जारी राशि एवं बैंक को ईकाईयों द्वारा भुगतान की गई राशि
(₹करोड में)

वर्ष	ईकाईयों का नाम	बजट अनुमान	ईकाईयों को जारी की गई राशि	ईकाईयों द्वारा बैंक को भुगतान की गई राशि
2017–18	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (₹800 करोड)	0.00	0.00	2.59
2018–19		32.00	0.00	33.63
2019–20		70.00	67.66	50.80
योग		102.00	67.66	87.02
2017–18	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (₹195 करोड)	17.25	0.00	0.00
2018–19		3.00	0.00	7.68
2019–20		27.01	23.11	16.61
योग		47.26	23.11	24.29
2017–18	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	20.00	6.00	5.79
2018–19		34.00	23.60	22.50
2019–20		50.00	48.30	42.83
योग		104.00	77.90	71.12
2017–18	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
2018–19		34.14	0.00	0.00
2019–20		90.00	13.83	25.67
योग		124.14	13.83	25.67

स्रोत: ईकाईयों से प्राप्त जानकारी एवं बजट दस्तावेज

राज्य शासन के वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के बजट दस्तावेजों में ऑफ बजट उधार को नहीं दिखाया गया है। आगे राजकोषिय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार तैयार किये गए राजकोषिय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम प्रकटीकरण में फार्म डी–2 में विवरण के साथ—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्पेशल परपस व्हेहीकल (एस.पी.व्ही) द्वारा लिए गए ऋण के लिए राज्य के बजट के भुगतान किए गए पूँजी एवं ब्याज श्रेणी के अंतर्गत राज्य शासन की देनदारियों के घटक को राज्य शासन ने शून्य दिखाया गया है।

4.16.1 लेखापरीक्षा के बाद देयताएँ

तालिका 4.19 राज्य शासन की ओर से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, एस.पी.व्ही और अन्य समकक्ष साधनों ऑफ बजट उधार लेने के बाद वास्तविक देनदारियों के आकलन को दर्शाया गया है, जिसमें पूँजी और/या ब्याज को 2019–20 के दौरान राज्य बजट से दिया जाना था।

तालिका 4.19: लेखापरीक्षा के बाद देयताएं

विवरण	देयताओं की न्युनवित	(₹करोड में)
1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	82.58	
2. छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	111.68	
3. राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	500.00	
योग	694.26	

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

यदि उपर्युक्त ऑफ बजट देनदारियों को ध्यान में रखा जाए तो राज्य वित्त लेखों की देनदारी जो राज्य की वित्त लेखे में ₹78,712.46 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.91 प्रतिशत) दिखाई गई है, के सामने वास्तविक देनदारी ₹79,406.72 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.12 प्रतिशत) हो जाएगी।

4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा नहीं किया (दिसम्बर–2020)।

4.18 निष्कर्ष

राज्य शासन द्वारा विभिन्न निधियों को विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक अच्छी राशि दी गई, जिसे बैंक खाता में पार्क कर दिया गया, परिणामस्वरूप इच्छित उपलब्धियाँ जिसके लिए धन दी गई, प्राप्त नहीं की जा सकी।

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और डी.सी.सी बिलों को जमा नहीं करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ (₹3,447.19 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹976.82 करोड़) का संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया एवं आवटन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण को धूमिल किया।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उठाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

4.19 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों महालेखाकार (लेखा एवं हक) को यू.सी. एवं डी.सी.सी. बिलों को जमा करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ निर्धारित समय सीमा का पालन करें। एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करनें की आवश्यकता है।
- ii. खाते प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई / अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चतं एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।
- iii. राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखापुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखा शीर्षों की पहचान हो सकें।

चतुर्थ अध्यायः लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

iv. राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सकें।

v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ों का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन-देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।

रायपुर
दिनांक : 17 JUN 2021


(दिनेश आर. पाटील)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 23 JUN 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मु)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट—1.1 (भाग—अ)
 (संदर्भ: कंडिका—1.1: पृष्ठ 1)
राज्य का रूपरेखा

अ—सामान्य आंकडे

स.क्र.	विवरण	आंकडे (छत्तीसगढ़)
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	2.55 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत =21.90 प्रतिशत)	39.9 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2017 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=33 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014–18 संपूर्ण भारत का औसत=69..40)	65.20
8	जनसंख्या वृद्धि (2011–2020)	सामान्य राज्य श्रेणी छत्तीसगढ़
9	2019–20 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी)	10.98 13.77 3,29,180 करोड़

ब—वित्तीय आंकडे

सी.ए.जी.आर	विवरण				
	वर्ष 2010–11 से 2018–19		वर्ष 2018–19 से 2019–20		
	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	(प्रतिशत में)
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	14.06	2.08	(−)1.88
ख	कर राजस्व का	12.21	11.44	2.12	3.22
ग	करेतर राजस्व का	11.19	9.11	23.44	3.00
घ	कुल व्यय का	13.87	15.72	4.09	11.62
ड	पूँजीगत व्यय का	14.64	14.80	(−)3.86	(−)3.79
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	15.09	11.81	27.94
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	21.44	9.48	21.65
ज	मजदूरी एवं वेतन का	10.78	13.73	9.51	22.21
झ	पेंशन का	14.14	14.72	9.74	22.27

(नोट: वित्तीय आंकडे राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं)

परिशिष्ट—2.1

(संदर्भ: कंडिका—2.4.1: पृष्ठ 24)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
भाग अ—प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	46,068(86)	53,685(90)	59,647(86)	65,095(82)	63,869
(i) स्वयं के कर राजस्व	17,075(37)	18,945(35)	19,895(33)	21,427(33)	22,118
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,908(52)	9,927(52)	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,338(20)	3,444(18)	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)
वाहन कर	829(05)	985(5)	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,185(07)	1,211(6)	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)
भू—राजस्व	364(02)	504(3)	446(2)	488(02)	552(02)
माल एवं यात्री कर	1,040(06)	1,340(7)	478(2)	54(0)	41(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)
अन्य कर	1,411(08)	1,534(8)	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)
(ii) करेतर राजस्व	5,215(11)	5,669(11)	6,340(11)	7,703(12)	7,934(12)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	15,716(34)	18,809(35)	20,755(35)	23,459(36)	20,206(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	8,062(18)	10,262(19)	12,657(21)	12,506(19)	13,611(21)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	03	02	03	05	04
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	296	173	138	162	257
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	01	00	01	02	00
4. कुल राजस्व एवं गैर—ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	46,367	53,860	59,789	65,264	64,130
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,251(14)	5,480(9)	9,652(14)	14,370(18)	19,588
आंतरिक ऋण	7,106	5,098	9,188	13,817	19,308 ¹
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	145	382	465	553	279
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	53,618	59,340	69,441	79,634	83,718
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	0	60	0	0	05
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	55,059	62,694	72,058	76,903	89,910
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,08,677	1,22,094	1,41,499	1,56,537	1,73,628
भाग—ख: व्यय / भुगतान					
राजस्व व्यय	43,701(84)	48,165(83)	56,230(84)	64,411(88)	73,477(89)
सामान्य सेवायें	10,409(24)	11,496(24)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)
समाजिक सेवायें	16,339(37)	21,342(44)	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)
आर्थिक सेवायें	16,053(37)	14,176(29)	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	900(02)	1,151(02)	1,365(02)	895(01)	1,120(2)

¹ विशेष आहरण सुविधा के साहित

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
11. पूँजीगत व्यय	7,945(15)	9,471(16)	10,001(15)	8,903(12)	8,566(02)
सामान्य सेवायें	362(05)	188(1.99)	303(3)	255(03)	194(02)
समाजिक सेवायें	1,807(23)	2,461(26)	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22)
आर्थिक सेवायें	5,776(73)	6,822(72)	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	165	273	369	240	56
12(अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.49	0.44	1.00	0.25	0.05
13. योग (10+11+12+12(अ))	51,811	57,909	66,600	73,555	82,100
14. लोक ऋण का पूर्णुगतान	1,250	1,153	1,000	1,146	8,696
आंतरिक ऋण	1,086(87)	983(85)	828(83)	953(83)	8,480(98)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	164(13)	170(15)	172(17)	193(17)	216(02)
15. आकस्मिकता निधि में पुर्णविनियोजन	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	53,061	59,122	67,600	74,700	99,419
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	54,001	61,149	71,754	76,357	83,719
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,07,062	1,20,271	1,39,354	1,51,057	1,83,138
भाग ग—घाटे					
20. राजस्व कमी(−)(1−10)/आधिक्य (+)	2,367	5,521	3,417	684	9,609
21. वित्तीय कमी (−)/आधिक्य (+)(4−13)	(−)4,574	(−)4,047	(−)6,810	(−)8,292	(−)17,970
22. प्राथमिक कमी(−) / प्राथमिक आधिक्य (+)(21+23)	(−)2,425	(−)1,360	(−)3,712	(−)4,640	(−)12,999
भाग घ— अन्य आंकडे					
23. ब्याज भुगतान	2,149	2,687	3,098	3,652	4,971
24. अर्थोपाय अग्रिम /ओब्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओब्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम /ओब्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,25,163	2,50,882	2,74,042 ^{प्र}	3,04,063 ^{प्र}	3,29,180 ^अ
27. वर्षान्त पर देयतायें	37,741	44,258	52,907	66,750	78,712
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गांरटियां)	1,988	3,983	3,882	10,769	18,459
29. वर्षान्त पर अधिकतम गांरटियां राशि	14,883	12,641	6,550	19,574	27,995
30. अधूरे परियोजना की संख्या	194	145	110	107	145
31. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूँजी	5,912	5,937	4,067	4,365	3,355
भाग छ—राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I. संसाधन सं					
स्वयं कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
करेतार राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
केन्द्रीय कर हस्तांतरण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
II- व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.12	1.08	1.12	1.13	1.29
राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.84	0.83	0.84	0.88	0.89
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.15	0.16	0.15	0.12	0.10
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.15	0.16	0.15	0.12	0.10
III- राजकोषीय अंसतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.02	0.01	0.00	(-)0.03
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.02	(-)0.02	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.05
प्रारंभिक घाटा /आधिक्य /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.04
राजस्व घाटा /आधिक्य /राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50	(-)0.08	(-)0.53
IV- राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.17	0.18	0.22	0.22	0.24
राजकोषीय देनदारियाँ / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.82	0.81	0.89	1.03	1.23
V- अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.09	0.01	0.07	0.02	0.03
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.47	1.53	1.48	1.43	1.23

नोट : अ—अग्रिम अनुमान त्व—त्वरित अनुमान प्रा—प्रावधिक अनुमान

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ:कंडिका-3.3.1: पृष्ठ 48)

वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	761—कन्या शिशु परिसर	19.78	0.04	19.82	17.68
2	1206—दिशा दर्शन	1.50	0.00	1.50	1.36
3	2216—नसिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	41.18	0.00	41.18	21.96
4	2962—बिंगड़े वनों का सुधार	121.00	0.00	121.00	130.27
5	3459—महिला खेल—कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.26
6	4060—विविध संस्थाओं को अनुदान	0.70	1.00	1.70	1.59
7	4663—स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	0.06	0.06
8	4691—कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.50	0.00	6.50	6.50
9	5534—स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.29	0.00	1.29	1.29
10	5551—हाई—स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.00
11	5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र	1.78	0.00	1.78	1.05
12	5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.13
13	5753—समारोह हेतु अनुदान	16.35	0.00	16.35	15.71
14	7330—मितानिन कल्याण निधि	101.00	0.00	101.00	50.00
15	7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	67.20	0.00	67.20	67.11
16	7361—सबला योजना	37.49	0.00	37.49	14.01
17	7435—पोषण	38.50	0.00	38.50	17.42
18	7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	306.20	202.11	508.31	489.04
19	7747—महतारी जतन योजना	23.55	6.51	30.06	22.33
20	7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना	26.78	11.00	37.78	23.93
21	7800—प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
22	7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1,723.00	0.00	1,723.00	643.27
23	7875—सुचिता योजना	2.00	4.00	6.00	0.00
24	8977—असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	10.00	0.00	10.00	4.04
25	8989—ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	7.75
26	9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	776.22	13.10	789.32	624.55
27	9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	12.91	0.00	12.91	5.99
28	9944—महिला जागृति शिविर की स्थापना	0.60	0.00	0.60	0.36
योग		3,437.08	237.76	3,674.84	2,247.67

परिशिष्ट: 3.2

(संदर्भ-कंडिका-3.3.2: पृष्ठ-48)

वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	436—विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.08
2	717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	164.76	8.34	173.10	117.49
3	1079—खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	4.00	0.00	4.00	1.03
4	1190—ग्रामीण खेल—कूद प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.46
5	1353—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंधित चिकित्सालय, रायपुर	102.78	5.00	107.78	84.40
6	1853—झाइंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.78
7	1915—दंत महाविद्यालय रायपुर	29.20	0.00	29.20	23.68
8	2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	41.18	0.00	41.18	21.96
9	3459—महिला खेल—कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.26
10	3673—राज्य छात्रवृत्ति	339.36	23.79	363.15	295.20
11	5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	5.50	0.00	5.50	1.86
12	5428—राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.52
13	5429—युवा कल्याण गतिविधि	2.20	0.00	2.20	2.13
14	5551—हाई—स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.00
15	5571—विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना	4.10	0.00	4.10	3.68
16	5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.13
17	5646—सैनिक स्कूल की स्थापना	22.45	1.39	23.84	4.84
18	5671—बी.पी.एल बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.47
19	5672—बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजना	6.15	6.00	12.15	12.12
20	5904—अ.जा. के छात्रों के लिए पुस्तक आदि का प्रदाय	109.18	120.94	230.12	190.25
21	6047—स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
22	6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना	1,541.65	0.00	1,541.65	982.18
23	6889—मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	1.50	0.00	1.50	1.50
24	6913—कुंभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	2.00	0.00	2.00	1.30
25	6944—पुस्तकालय योजना	1.00	0.00	1.00	1.01
26	6967—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंधित अस्पताल, बिलासपुर	52.59	0.50	53.09	34.79
27	6997—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल, रायपुर	65.81	0.00	65.81	40.11
28	7328—फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	2.05	0.00	2.05	1.80
29	7341—आई०आई०आई०टी० की स्थापना	25.00	0.00	25.00	25.00
30	7361—सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	37.49	0.00	37.49	14.01
31	7363—युवा कैरियर निर्माण	11.66	0.00	11.66	6.62
32	7366—सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.02
33	7367—मॉडल स्कूल	30.76	0.00	30.76	28.84
34	7430—शिल्पी हेतु डिजाइन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.36
35	7434—कवर्धा मत्स्य महाविद्यालय के लिये अनुदान	3.86	1.69	5.55	2.74
36	7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	17.42
37	7632—युवा क्षमता विकास योजना	9.10	0.00	9.10	3.45
38	7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	110.50	0.00	110.50	40.21
39	7745—छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	25.00	0.00	25.00	2.09
40	7751—स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.69	0.00	7.69	3.80

क्र. संख्या	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
41	7867—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	14.06
42	7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	70.66	0.00	70.66	38.92
43	7914—कौशल स्वरोजगार योजना	2.24	0.00	2.24	0.00
44	7979—समग्र शिक्षा	1,451.00	400.00	1,851.00	1,816.10
45	8050—छात्रवृत्ति	34.99	0.00	34.99	15.45
46	8076—राज्य के बाहर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति	0.07	0.00	0.07	0.04
47	8539—कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.00	10.00	9.27
48	8899—पशु धन मित्र योजना	3.00	0.00	3.00	2.95
49	8918—विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	9.76
50	8928—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	1.00	4.01	3.03
51	8935—लाइबलीहुड कालेज परियोजना	22.21	1.00	23.21	10.42
52	8938—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव	52.69	0.00	52.69	22.77
53	8940—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंद्ध चिकित्सालय, सरगुजा	39.68	3.74	43.41	23.95
54	8950—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर	52.43	0.00	52.43	33.79
55	8977—छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	10.00	0.00	10.00	4.04
56	8979—एकीकृत अम्बेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	220.34	89.19	309.53	177.84
57	8989—छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	7.75
58	9381—बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.07
59	9805—आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.83	0.00	0.83	0.75
योग		4,911.43	662.57	5,574.00	4,239.69

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.4: पृष्ठ-49)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6353—चिराग योजना	0.00	7.00	7.00	0.00
2	6359—मुख्यमंत्री पोषण अभियान	0.00	1.00	1.00	0.00
3	6366—कृषक सहायता	0.00	3.00	3.00	0.00
4	7945—प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	5.00	0.00	5.00	0.00
5	7946—सोयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
6	7948—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	10.00	0.00	10.00	0.00
7	7952—भारत एग्रो खाद्य प्रसंसकरण और इसके अतिरिक्त कार्यक्रम	4.00	0.00	4.00	0.00
8	7953—जलवायु संवेदनशीलता योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
9	7957—छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्था	3.00	0.00	3.00	0.00
10	7958—जल जाँच प्रयोगशाला	5.00	0.00	5.00	0.00
11	7959—विभाग की नर्सरी में पौधा निर्माण	20.00	0.00	20.00	0.00
12	7961—गिरोदपुरी समूह नल जल योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
13	7963—मुख्यमंत्री चालित संयात्रा पेयजल योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
14	7964—राजीव गांधी सेतु जल योजना	2.00	0.00	2.00	0.00
15	7966—राज्य पोर्टल परियोजना	1.48	0.00	1.48	0.00
16	7970—प्लग टाईप यूनिट की स्थापना	3.00	0.00	3.00	0.00
17	7971—कामकाजी महिला आवासीय भवन का निर्माण	6.25	0.00	6.25	0.00
18	7974—अभिसारित आम आदमी बीमा योजना	2.15	0.00	2.15	0.00
19	7975—अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना	10.95	0.00	10.95	0.00
20	7980—मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
21	7981—अजायबघर के लिए भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00	0.00
22	7989—चिकित्सा महाविधालय परिसर एवं मेकहारा अस्पताल, रायपुर की जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करना	1.00	0.00	1.00	0.00
23	7990—चंद्रखुरी कोल्हापुरी समूह नल का जल आपूर्ति	1.00	0.00	1.00	0.00
24	7992—प्रतीकात्मक वन वृक्षारोपण निधि का छत्तीसगढ़ को स्थानांतरण	0.00	500.00	500.00	0.00
योग		110.83	511.00	621.83	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका—3.5.3: पृष्ठ 52)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	सामान्य प्रशासन	322.05	15.36	234.78	-87.27
2	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	30.58	2.20	15.20	-15.38
3	पुलिस	4,438.07	162.79	4,299.28	-138.80
4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	53.47	30.33	50.08	-3.40
5	जेल	183.12	0.62	156.04	-27.08
7	वाणिज्य कर विभाग	274.90	81.44	288.88	-67.46
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	901.88	7.79	709.53	-192.35
11	वाणिज्य एवं उद्योग	277.22	16.50	179.40	-97.82
13	कृषि	3,972.10	720.90	1,561.32	-2,410.78
14	पशुपालन विभाग	512.06	7.67	413.57	-98.49
16	मत्स्य पालन	68.53	0.50	58.17	-10.36
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,937.49	167.45	1,922.81	-14.68
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	355.95	6.37	259.24	-96.71
24	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठनों और पुल	1,321.17	11.50	677.23	-643.94
26	संस्कृति विभाग	39.44	7.00	36.77	-2.67
28	राज्य विधान मंडल	68.42	0.79	45.43	-22.99
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	583.94	15.06	499.61	-84.32
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,696.97	250.11	1,906.11	-790.86
34	सामाजिक कल्याण	99.29	0.00	74.31	-24.98
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14,737.07	2,297.14	13,020.67	-1716.4
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	361.22	11.22	250.77	-110.45
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1050.50	128.24	760.57	-289.92
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	636.00	0.62	596.82	-39.19
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4,969.68	836.24	4,419.79	-549.88
65	विमानन विभाग	47.89	3.00	41.86	-6.03
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	241.86	4.04	153.21	-88.65
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	946.24	216.60	387.14	-559.1
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	121.17	8.11	71.39	-49.78
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	13.60	539.88	-168.64
योग—राजस्व दत्तमत		41,956.80	5,023.19	33,629.90	-8,408.38

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानो से बचत
पूँजीगत (दत्तमत)					
1	सामान्य प्रशासन	50.07	0.63	16.60	-33.47
12	ऊर्जा विभाग	370.44	40.00	337.67	-32.77
13	कृषि	9.96	3.87	6.70	-3.26
17	सहकारिता	18.80	1.00	0.30	-18.50
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67.44	1.40	60.88	-6.56
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	281.50	21.10	147.33	-134.17
21	आवास एवं पर्यावरण विकास विभाग	366.42	4.81	193.74	-172.68
23	जल संसाधन विभाग	461.09	9.00	287.37	-173.72
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	853.66	128.07	825.17	-28.49
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.47	312.68	2069.74	-739.73
45	लघु सिंचाई निमार्ण कार्य	345.51	10.00	231.66	-113.85
55	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	22.36	2.50	12.93	-9.43
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.73	67.35	620.72	-528.01
65	विमानन विभाग	20.05	50.00	0.00	-20.05
67	लोक निमार्ण कार्य-भवन	668.35	7.23	267.73	-400.62
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	80.70	75.59	-100.15
	पूँजीगत—कुल दत्तमत	7,669.59	740.34	5154.13	-2515.46
	कुल योग	49,626.40	5763.53	38,784.00	-10,923.80

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ-कंडिका-3.5.5, पृष्ठ-54)

उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	03-2055-109-8333-सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	14.00	0.00	14.00
2	08-2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अंतरण	57.82	0.00	57.82
3	10-2406-01-101-7959-विभागीय नर्सरी में पौध तैयारी	20.00	0.00	20.00
4	10-2406-01-105-252-अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	14.00	0.00	14.00
5	10-2406-01-203-5641-वन प्रबंधन समितियाँ	35.31	0.00	35.31
6	10-2406-04-103-7992-छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में अंतरण	0.00	500.00	500.00
7	11-2852-80-102-7785-पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	10.00	0.00	10.00
8	12-2801-80-101-7898-नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन	32.80	0.00	32.80
9	12-2801-80-101-8914-विद्युत कंपनियों की सहायता	25.58	0.00	25.58
10	12-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन / वितरण	47.70	0.00	47.70
11	12-4801-06-800-7899-पम्प फीडर सेप्रेशन स्कीम	10.00	0.00	10.00
12	14-2403-102-7621-नेशनल लाइवरस्टॉक मिशन	12.50	0.00	12.50
13	17-6425-108-5055-सहकारी शक्कर कारखाना	13.00	0.00	13.00
14	21-2216-02-190-7444-विकास नगर योजना	10.00	0.00	10.00
15	21-2216-02-190-7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना	10.00	0.00	10.00
16	21-6217-01-800-7883-जलाधार्ति योजना	10.00	0.00	10.00
17	25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण	300.00	0.00	300.00
18	25-4853-01-004-7794-परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग)	317.45	0.00	317.45
19	27-4202-01-202-5646-सैनिक स्कूल की स्थापना	19.00	0.00	19.00
20	30-2235-60-196-7975-अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना / प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना	10.95	0.00	10.95
21	30-4515-102-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	10.00	0.00	10.00
22	30-4515-102-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई	19.00	0.00	19.00
23	30-5054-04-101-4871-पी.एम.जी.एस.वार्ड. रोड पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
24	30-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
25	39-2408-01-003-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	14.90	0.00	14.90
26	39-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खदान उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	51.00	0.00	51.00
27	40-705-209-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	115.52	0.00	115.52
28	41-2408-01-003-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	11.32	0.00	11.32
29	41-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खदान उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	37.84	0.00	37.84
30	41-2801-80-101-8914-विद्युत कंपनियों की सहायता	19.44	0.00	19.44
31	41-2852-80-102-5385-नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	15.00	0.00	15.00
32	41-4202-01-202-1002-1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	55.00	0.00	55.00
33	41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03	0.00	116.03
34	41-4701-23-800-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	10.50	0.00	10.50

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
35	41-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	36.25	0.00	36.25
36	41-5054-04-101-4871-पी.एम.जी.एस.वाई. रोड पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
37	41-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
38	41-6425-107-5055-सहकारिता चीनी मिल	24.00	0.00	24.00
39	43-2204-104-7473-37 राष्ट्रीय खेल	15.00	0.00	15.00
40	45-5054-05-337-7820-रोड एवं पुलों का निर्माण	10.00	0.00	10.00
41	58-2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता	30.00	0.00	30.00
42	58-2245-02-106-1467-जिला और अन्य रोड़	10.00	0.00	10.00
43	58-2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़, नियंत्रण निर्माण कार्य के मरम्मत और उनकी पुनः स्थापना	10.00	0.00	10.00
44	58-2245-80-103-4849-राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	50.00	0.00	50.00
45	64-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खदान उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	12.16	0.00	12.16
46	64-4202-01-202-1203-1400-विवेकानन्द गुरुकृत उन्नयन योजना	12.38	0.00	12.38
47	64-4515-102-7759- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	13.20	0.00	13.20
48	64-4700-10-800-2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य	10.00	0.00	10.00
49	64-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	11.45	0.00	11.45
50	64-6425-108-5055-सहकारिता चीनी मिल	13.00	0.00	13.00
51	65-5053-02-102-4727-हवाई पटियों का निर्माण एवं विस्तार	20.05	0.00	20.05
52	65-5053-80-800-4043-विमानन संचालनालय	0.00	50.00	50.00
53	67-4059-01-051-3755-राष्ट्रीय सेन्य दल	14.38	0.00	14.38
54	69-2217-80-191-7685-स्मार्ट सिटी	396.00	0.00	396.00
55	75-4700-09-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	48.00	0.00	48.00
56	75-4700-10-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	10.00	0.00	10.00
57	75-4700-11-800-313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	10.00	0.00	10.00
58	79-2210-01-110-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00	0.00	10.00
59	79-4210-01-110-6997-चिकित्सा महाविधालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़	15.00	0.00	15.00
60	79-4210-01-110-8939-चिकित्सा महाविधालय राजनांदगांव	0.00	76.50	76.50
61	79-4210-01-110-8938-चिकित्सा महाविधालय एवं संबंधित चिकित्सा, राजनांदगांव	17.00	0.00	17.00
62	79-4210-03-105-101-1352-चिकित्सा महाविधालय रायपुर	21.00	0.00	21.00
63	79-4210-03-105-701-1352-चिकित्सा महाविधालय, रायपुर	13.09	0.00	13.09
64	81-6217-60-191-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	10.00	0.00	10.00
65	CH1- 6003-110-637-उपाय तथा साधक अग्रिम	660.00	0.00	660.00
66	CH1- 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51	0.00	264.51
67	CH2-2049-01-101-2199-नवीन बाजार ऋण	250.00	0.00	250.00
68	CH2-2049-01-101-7923-8.11-प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण	89.21	0.00	89.21
योग		3,651.35	626.50	4,277.85

परिशिष्ट—3.6

(संदर्भ: कंडिका—3.5.6: पृष्ठ —54)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(—)/आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1	सामान्य प्रशासन	322.05	15.36	337.41	234.78	-102.62	94.40	-8.22
3	पुलिस	4438.07	162.79	4600.87	4299.28	-301.59	246.42	-55.17
8	भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	901.88	7.79	909.67	709.53	-200.15	259.97	59.82
10	वन	1062.49	500.00	1562.49	1361.24	-201.25	199.10	-2.15
11	वाणिज्य एवं उद्योग	277.22	16.50	293.72	179.40	-114.32	114.34	0.02
13	कृषि	3972.10	720.90	4693.00	1561.32	-3131.68	3135.62	3.94
14	पशुपालन विभाग	512.06	7.67	519.73	413.57	-106.16	105.72	-0.44
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1937.49	167.45	2104.94	1922.81	-182.13	215.09	32.96
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	355.95	6.37	362.32	259.24	-103.08	102.97	-0.11
23	जल संसाधन विभाग	608.20	0.00	608.2	497.48	-110.73	110.10	-0.63
24	लोक निर्माण कार्य—सड़क एवं पुल	1321.17	11.50	1332.67	677.23	-655.44	0.00	-655.44
25	खनिज संसाधन विभाग	346.72	0.00	346.72	38.32	-308.4	308.57	0.17
27	स्कूल शिक्षा	4220.46	305.15	4525.61	4417.23	-108.38	143.69	35.31
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2696.97	250.11	2947.08	1906.11	-1040.98	1038.79	-2.19
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2738.31	183.31	2921.62	2821.12	-100.50	100.89	0.39
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	14737.07	2297.14	17034.21	13020.67	-4013.54	4212.13	198.59
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	361.22	11.22	372.44	250.77	-121.67	121.77	0.10
55	महिला एवं बाल कल्याण	1050.50	128.24	1178.74	760.57	-418.16	417.57	-0.59
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4969.68	836.24	5805.92	4419.79	-1386.13	1421.44	35.31
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	946.24	216.60	1162.84	387.14	-775.70	775.70	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	13.60	722.12	539.88	-182.23	140.58	-41.65
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3178.13	681.76	3859.90	3457.10	-402.80	413.32	10.52
81	नगरीय निकाऊं का वित्तीय सहायता	1303.43	705.07	2008.50	1792.24	-216.26	216.25	-0.01
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	631.57	0.00	631.57	491.15	-140.41	137.76	-2.65
	योग	53597.50	7244.77	60842.29	46417.9	-14424.3	14032.1	-392.12

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(−)/आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (भारित)								
10	वन	10.81	508.01	518.82	13.31	−505.51	8.60	−496.91
	कुल	10.81	508.01	518.82	13.31	−505.51	8.60	−496.91
पूँजीगत (दत्तमत)								
20	यांत्रिकी	281.49	21.1	302.59	147.32	−155.27	155.3	0.03
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	366.42	4.81	371.23	193.73	−177.49	173.1	−4.39
23	जल संसाधन	461.08	9.00	470.08	287.36	−182.71	182.61	−0.11
24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	1434.84	0.00	1434.84	1090.76	−344.07	0.00	−344.07
25	खनिज संसाधन विभाग	378.83	0.00	378.83	45.72	−333.11	333.11	0.00
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	853.66	128.07	981.73	825.17	−156.55	129.24	−27.32
40	आयाकट	117.52	0.00	117.52	1.52	−116.00	116.00	0.00
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.45	312.68	3122.14	2069.74	−1052.40	1038.06	−14.34
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	345.51	10.00	355.51	231.66	−123.84	121.86	−1.99
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.72	67.35	1216.07	620.71	−595.36	375.75	−219.61
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	668.35	7.23	675.58	267.73	−407.84	5.72	−402.13
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	700.00	0.00	700.00	201.11	−498.88	498.85	−0.03
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	610.92	0.00	610.92	306.99	−303.92	0.00	−303.93
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	80.70	256.44	75.59	−180.85	179.72	−1.13
	योग	10352.53	640.94	10993.48	6365.11	−4628.29	3309.32	−1319.02

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कंडिका— 3.5.6: पृष्ठ —54)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹50 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(—)/आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
13	कृषि	3972.10	720.90	4693.00	1561.32	-3131.68	3135.62	3.94
24	लोक-निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल	1321.17	11.50	1332.67	677.23	-655.44	0.00	-655.44
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2696.97	250.11	2947.08	1906.11	-1040.98	1038.79	-2.19
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14737.07	2297.14	17034.21	13020.67	-4013.54	4212.13	198.59
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4969.68	836.24	5805.92	4419.79	-1386.13	1421.44	35.31
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग— नगरीय कल्याण	946.24	216.60	1162.84	387.14	-775.70	775.70	0.00
		28643.23	4332.49	32975.72	21972.26	-11003.47	10583.68	-419.79
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.45	312.68	3122.14	2069.74	-1052.40	1038.06	-14.34
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.72	67.35	1216.07	620.71	-595.36	375.75	-219.61
	योग	3958.17	380.03	4338.21	2690.45	-1647.76	1413.81	-233.95

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका- 3.5.6 पृष्ठ -54)

माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य	समर्पण
1	1-सामान्य प्रशासन	407.78	16.16	423.94	275.00	-148.94	130.91
2	3-पुलिस	4505.12	163.81	4668.93	4343.64	-325.29	269.01
3	4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	59.24	30.33	89.58	50.78	-38.79	24.12
4	5-जेल	183.62	0.63	184.25	156.04	-28.20	28.13
5	6-वित्त	8576.75	300.26	8877.01	9459.78	582.77	80.58
6	7-वाणिज्य कर विभाग	336.72	81.44	418.16	350.07	-68.09	76.18
7	8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	993.51	7.93	1001.44	784.49	-216.95	290.49
8	10-वन	1095.86	1008.02	2103.88	1389.28	-714.60	215.94
9	11-वाणिज्य एवं उद्योग	341.44	16.58	358.02	186.71	-171.31	171.33
10	12-ऊर्जा	2537.01	790.82	3327.83	3183.36	-144.47	144.48
11	13-कृषि	3982.24	724.92	4707.16	1568.26	-3138.90	3142.86
12	14-पशुपालन	540.74	7.74	548.48	420.42	-128.06	127.63
13	15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संरथाओं की वित्तीय सहायता	284.07	0.00	284.07	241.77	-42.30	42.30
14	16-मतस्थ पालन	69.28	2.20	71.48	60.61	-10.87	10.86
15	17-सहकारिता	932.34	769.02	1701.36	1588.31	-113.05	112.92
16	18-श्रम	204.73	0.00	204.73	140.83	-63.90	63.67
17	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2005.09	169.29	2174.38	1984.28	-190.10	236.30
18	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	637.59	27.48	665.07	406.68	-258.38	258.30
19	21-भवन एवं पर्यावरण विभाग	565.95	4.81	570.76	332.71	-238.05	231.31
20	23-जल संसाधन	1069.85	9.00	1078.85	785.00	-293.86	293.28
21	25-खनिज संसाधन	725.6	0.00	725.60	84.05	-641.55	641.72
22	26-सांस्कृतिक विभाग	40.94	7.00	47.94	36.77	-11.17	11.72
23	27-स्कूल शिक्षा	4277.1	305.37	4582.47	4448.07	-134.41	169.72
24	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	683.19	15.21	698.40	568.31	-130.09	131.48
25	30-पंचायत और ग्रामीण विकास	3550.64	378.19	3928.83	2731.28	-1197.55	1168.03
26	31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	42.26	0.00	42.26	29.45	-12.81	12.80
27	32-जनसंपर्क विभाग	186.83	61.04	247.87	233.49	-14.38	14.60
28	33-आदिवासी कल्याण	3997.04	76.82	4073.86	4133.76	59.90	84.92
29	34-सामाजिक कल्याण	99.4	0.00	99.40	74.38	-25.02	24.40
30	36-यातायात	73.27	2.59	75.86	51.32	-24.54	22.66
31	37-पर्यटन	59	0.00	59.00	35.67	-23.33	23.33

क्र.सं	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(−)/आधिक्य	समर्पण
32	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2745.46	183.31	2928.77	2826.91	−101.86	102.25
33	40—आयाकट	121.89	0.00	121.89	3.59	−118.30	118.23
34	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17546.68	2609.83	20156.51	15090.46	−5066.04	5250.35
35	43—खेल—कूद युवा कल्याण	53.39	0.00	53.39	13.12	−40.27	40.26
36	44—उच्च शिक्षा	741.43	13.57	755.00	745.52	−9.48	54.03
37	45—लघु सिंचाई कार्य	427.27	10.01	437.28	303.81	−133.46	131.47
38	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	22.10	0.00	22.10	7.44	−14.66	14.66
39	47—तकनीकी शिक्षा एवं श्रम शक्ति योजना	398.21	11.22	409.43	254.41	−155.02	155.01
40	54—कृषि खोज एवं शिक्षा	161.50	10.00	171.50	158.00	−13.51	13.51
41	55—महिला एवं बाल कल्याण	1072.85	130.75	1203.60	773.55	−430.05	429.50
42	56—ग्रामीण उद्योग	117.01	0.00	117.01	92.75	−24.26	24.27
43	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	636.20	0.62	636.82	596.82	−40.00	72.24
44	64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6118.40	903.60	7022.00	5040.51	−1981.49	1797.20
45	65—उड़ड़यन विभाग	67.95	53.00	120.95	41.86	−79.08	79.02
46	66—पिछड़ा वर्ग कल्याण	266.59	4.05	270.64	156.59	−114.04	114.44
47	69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	946.23	216.61	1162.84	387.14	−775.70	775.70
48	71—सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	128.99	158.12	287.11	221.39	−65.72	65.72
49	75—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	700	0.00	700.00	201.12	−498.88	498.85
50	79—विकित्सा शिक्षा	884.30	94.30	978.60	615.47	−363.13	320.33
51	80—त्रि स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3303.13	681.77	3984.90	3581.47	−403.42	413.95
52	81—नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	1716.48	783.07	2499.55	2266.29	−233.26	233.26
53	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	736.57	0.00	736.57	596.15	−140.41	137.19
54	CH1 —ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4753.99	111.24	4865.23	5113.33	248.10	31.40
55	CH2 —लोक ऋण	2906.50	0.00	2906.50	8695.03	5788.53	629.03
	योग	89637.32	10951.73	100589.06	87917.30	−12671.70	19757.85

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7, पृष्ठ-56)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	1—सामान्य प्रशासन	44	25	13
2	2—सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	12	5	2
3	3—पुलिस	39	23	8
4	4—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	22	15	5
5	5—जेल	04	4	2
6	6—वित्त विभाग	32	21	0
7	7—वाणिज्य कर विभाग	27	13	3
8	8—भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	34	16	3
9	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	06	5	3
10	10—वन	76	46	11
11	11—वाणिज्य एवं उद्योग	40	18	2
12	12—ऊर्जा	40	10	6
13	13—कृषि	88	48	35
14	14—पशुपालन विभाग	46	25	0
15	15—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	22	11	5
16	16—मत्स्य पालन	17	5	0
17	17—सहकारिता	19	9	6
18	18—श्रम	17	12	0
19	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67	39	5
20	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	101	32	23
21	21—आवास एवं पर्यावरण विभाग	22	16	13
22	22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	05	3	2
23	23—जल संसाधन विभाग	106	46	33
24	24—लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	43	34	0
25	25—खनिज संसाधन विभाग	13	6	3
26	26—सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्च	28	14	8
27	27—स्कूल शिक्षा	73	38	30
28	28—राज्य विधायिका	05	5	1
29	29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	33	24	13
30	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	48	24	12
31	31—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	10	5	0
32	32—जनसंपर्क विभाग	50	5	0

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
33	33—आदिम जाति कल्याण	19	16	3
34	34—सामाजिक कल्याण	41	12	0
35	35—पुनर्वास	03	3	1
36	36—यातायात	17	9	0
37	37—पर्यटन	04	3	3
38	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	33	12	7
39	40—आधाकट	06	5	3
40	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	505	215	116
41	42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	16	13	1
42	43—खेल एवं युवा कल्याण	17	12	10
43	44—उच्च शिक्षा	34	13	10
44	45—लघु सिंचाई कार्य	16	11	4
45	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	04	4	4
46	47—तकतीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	39	26	10
47	49—अनुसूचित जाति कल्याण	03	2	1
48	50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	01	1	0
49	51—धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	5	3
50	53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनात्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	14	4	4
51	54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	05	2	2
52	55—महिला एवं बाल कल्याण	61	36	6
53	56—ग्रामीण उद्योग	35	18	9
54	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	56	28	6
55	60—जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	02	2	0
56	64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	366	133	61
57	65—विमानन विभाग	03	3	3
58	66—पिछड़ा वर्ग कल्याण	31	16	5
59	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	192	73	0
60	68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	39	15	0
61	69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	17	7	6
62	71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	31	18	17
63	75—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	18	18
64	76—लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6	6	0
65	79—चिकित्सा शिक्षा विभाग	61	48	0
66	80—त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	53	21	13
67	81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	79	28	13
68	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	28	16	10

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
69	83—अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	19	6	6
70	CH1—ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	14	9	1
71	CH2—लोक ऋण	70	27	13
	योग	3161	1498	616

परिशिष्ट—3.10

(संदर्भ: कंडिका—3.5.8: पृष्ठ—57)

वर्ष 2001–01 से 2018–19 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000–01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001–02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002–03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003–04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004–05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005–06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006–07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008–09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010–11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011–12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013–14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014–15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015–16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2017–18	3 अनुदान	6,49 और 50	0.37
	3 विनियोग	14,33 और 55	
2018–19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	
योग			3261.83

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ:कंडिका-3.5.8 पृष्ठ-58)

वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	2053	जिला प्रशासन	0.95	0.60	1.55	1.71	0.16
2	4	2013	मत्रिमंडल	3.08	4.36	7.44	8.81	1.38
3	6	2071	पेशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	4,923.16	300.00	5,223.16	6,632.59	1,409.44
4	6	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20
5	7	2030	टिकट और पंजीकरण	122.55	81.44	203.99	204.49	0.50
6	7	2058	लेखन सामग्री और छपाई	0.02	0.00	0.02	0.03	0.01
7	19	2071	पेशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2.30	0.00	2.30	5.38	3.08
8	23	2701	मध्यम सिंचाई	262.83	0.00	262.83	405.18	142.35
9	24	5053	नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	1.05	0.00	1.05	1.68	0.63
10	33	2202	सामान्य शिक्षा	3,870.97	76.82	3,947.79	4,038.45	90.66
11	41	4851	ग्राम एवं छोटे उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
12	44	2202	सामान्य शिक्षा	729.01	13.56	742.57	745.40	2.84
13	67	3054	सड़क एवं पुल	-185.32	0.00	-185.32	-46.29	139.03
14	67	5053	नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.35
15	67	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	-66.18	0.00	-66.18	0.00	66.18
16	80	2235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	579.34	46.68	626.02	629.02	3.00
17	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	2,745.11	0.00	2,745.11	8,479.52	5,734.41
18	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161.39	0.00	161.39	215.51	54.12
19	CH2	2049	ब्याज भुगतान	4,489.00	111.24	4,600.24	4,840.55	240.31
योग				17,638.90	634.69	18,273.59	26,167.26	7,893.69

परिशिष्ट—3.12

(संदर्भ: कंडिका—3.6.1, पृष्ठ—58)

उप—शीर्ष (योजना), जहाँ पूरा व्यय मार्च 2020 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सभ्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
1	17	2425—107—101—5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	92.13
2	41	5275—101—102—7861—संचार क्रांति योजना	76.00
3	41	2425—107—102—5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	70.02
4	80	2853—800—101—6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	69.86
5	CH2	2049—101—6403—7.28—राज्य विकास ऋण 2027	36.40
6	15	2853—800—103—6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	34.27
7	41	4515—102—702—7759 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	27.00
8	19	2210—200—101—6362—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	25.00
9	64	5275—101—103—7861—संचार क्रांति योजना	24.00
10	82	2853—800—102—6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	23.59
11	64	2425—107—103—5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	22.11
12	41	2210—200—102—6362—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	19.00
13	30	4515—102—701—7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	18.00
14	12	4810—101—101—7897—प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना	16.56
15	19	2210—200—101—6363—मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता अनुदान	10.00
16	41	2406—105—802—5231—लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	9.37
17	41	2210—200—102—6363—मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता अनुदान	7.60
18	80	2515—101—8391—त्रि—स्तरीय पुरस्कार	7.00
19	04	3454—800—6399—जनगणना का कार्य	6.63
20	64	2210—200—103—6362—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	6.00
21	17	2425—107—101—8654—राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रमिण विकास बैंक कों सहकारी बैंक में विलय	5.00
22	30	4515—102—101—7658—सांसद आदर्श ग्राम योजना	5.00
23	30	4515—102—101—7659—विधायक आदर्श ग्राम योजना	4.85
24	24	5054—337—101—7818—इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण	4.45
25	39	6408—190—311—8545—नाबाड सहायता एवं गोदाम निर्माण	4.19
26	47	2230—3701—7955—जीवन निर्वाह के लिये प्रशिक्षण	4.00
27	71	3275—800—101—8922 मुख्यमंत्री सुशासन अहयेतावृति	3.21
28	64	2225—190—103—3185—अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना	3.20
29	41	6408—190—312—8545—नाबाड सहायता से गोदाम निर्माण	3.19
30	64	5054—337—103—7818—इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण	2.61
31	10	4406—101—701—5538—एकीकृत वन सुरक्षा संरक्षण योजना	2.43
32	21	4217—51—101—7416—13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	2.43
33	64	2210—200—103—6363—मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	2.40
34	71	3275—800—101—7612—एकीकृत ई—खरीद परियोजना	2.38
35	47	2203—1101—7745—छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	2.09

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
36	79	4210–110–701–6997–चिकित्सा महाविद्यालय और संबंधित अस्पताल, रायगढ़	1.87
37	41	4215–101–102–8908–नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.85
38	64	2215–193–103–6862–लवण जल प्रदाय योजना	1.75
39	66	4225–102–701–7605–अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना	1.68
40	41	4202–103–702–7438–राज्य कौशल विकास मिशन	1.44
41	07	4059–52–1470–जिला कार्यपालिका स्थापना	1.19
42	41	2230–3702–7955–जीवन निर्वाह के लिये प्रशिक्षण	1.15
43	64	6408–190–313–8545–नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	1.01
44	64	2230–3103–7955–निर्वाह के लिए प्रशिक्षण	1.00
45	41	4406–101–702–5538–एकीकृत वन (सुरक्षा) संरक्षण योजना	0.91
46	42	5054–337–102–7818–इंजीनियरिंग प्रोफ्युरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन	0.85
47	64	4406–101–703–5538–एकीकृत वन (सुरक्षा) संरक्षण योजना	0.84
48	41	2225–102–102–6870–अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत्	0.80
49	56	4851–103–101–6769–भारतीय हैंडलुम प्रैद्योगिकी संस्थान की स्थापना	0.75
50	13	2401–119–101–8638–राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	0.72
51	34	2235–105–801–2245–निषेध कार्यक्रम	0.68
52	64	2215–193–103–8625–कुरा जलापूर्ति योजना	0.62
53	41	2203–105–802–2668–पॉलीटेक्निक संस्थाएँ	0.60
54	66	4225–190–101–5096–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी	0.60
55	67	2210–105–4220 शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	0.55
56	01	4059.51–101–4485–सामान्य प्रशासन विभाग–भवन	0.53
57	40	4705–210–101–2823 फील्ड चैनल्स का निर्माण	0.52
58	41	2210–200–102–8649–मुख्यमंत्री नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.50
59	27	2202–106–101–6944–पुस्तकालय योजना	0.50
60	81	2853–800–101–7611–गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण	0.49
61	41	2202–106–102–6944–पुस्तकालय योजना	0.38
62	15	2202–197–103–2952–बालिकाओं के लिये पोशाक	0.33
63	64	2210–200–103–8649 मुख्यमंत्री नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.30
64	10	4406–101–3877 क्षेत्रीय वन मंडल	0.30
65	67	2216–53–2631–पुलिस प्रशासन	0.22
66	41	4225–190–102–5025–छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम को अंशपूँजी	0.20
67	64	2403–101–313–7471–नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट विकास हेतु अनुदान	0.20
68	58	2245–102–2661–पेयजल आपूर्ति	0.18
69	27	4202–202–101–3858 लोक शिक्षण संचालनालय	0.18
70	29	2014–105–701–6356–फार्स्ट ड्रेक स्पेशल कोर्ट और पोस्को	0.17
71	80	2515–196–8210–पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.16
72	80	2515–197–8210–पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.16
73	34	2235.1–101–6969–सब्जीडी योजना का उन्नयन	0.14
74	29	4070–800–9057–विधि एवं विधायी कार्य	0.13
75	10	4406–101–2786–प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत)	0.13
76	67	2059–53–3859–लोक सेवा आयोग	0.12
77	64	4210–110–103–6967–चिकित्सा महाविद्यालय और संबंधित अस्पताल, बिलासपुर	0.10

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
78	11	2852—1—101—5452—निवेश प्रचार बोर्ड की स्थापना	0.10
80	67	4059—1—101—3300—सर्कल की स्थापना	0.10
79	66	4225—190—101—7288—राष्ट्रिय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को अंशपूँजी	0.10
81	35	2235—200—3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित नये व्यक्ति का पुर्नवास	0.08
82	80	2515—198—8210—पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.08
83	03	4055—800—279—अभियोजन संचालनालय	0.07
84	43	4202—102—101—5226 मूलभूत सुविधाओं को विकास—स्टेडियम	0.06
85	68	4059—51—802—7307—विशेष अधोसंरचना विकास योजना	0.06
86	64	4225—190—103—5025—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम को अंशपूँजी	0.06
87	08	4059—52—456—भू अभिलेख और समझौता, आयुक्त का कार्यालय	0.06
88	36	5055—800—3565—मुख्यालय स्थापना	0.06
89	03	4055—800—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	0.06
90	20	4215—1—101—2715—प्रशासन	0.05
91	26	2205—101—797—रिजर्व फंड एवं जमा खाता में/से स्थानान्तरण	0.05
93	67	2403—800—6781—पशुपालन विभाग भवन	0.05
95	80	2405—101—101—7756—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	0.05
92	56	2851—103—101—7885—हथकरघा	0.05
94	68	4202—202—1002—7284—छात्रावास/आश्रम भवन का निर्माण	0.05
96	41	2210—101—102—1104—ग्वाइटर रोग नियंत्रक	0.04
97	41	2403—101—312—7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	0.04
98	34	2235—101—6927—रक्षानीय स्तर पर समाज को सहायता	0.03
99	56	2851—103—101—7624—सी.एफ.सी.—हथकरघा की स्थापना	0.03
100	67	2403—800—2553 पशु चिकित्सा उपचार और पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	0.02
101	34	4235—101—101—79—3-अंधों, बहरो एवं गुंगो के लिये विधालय एवं संस्थान	0.02
102	67	4059—51—101—2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	0.02
103	44	2202—107—3754—एकीकृत छात्रवृत्ति	0.01
104	24	5054—337—101—8716 केन्द्रीय सङ्कर निधि	0.01
105	41	2403—106—102—7734—राज्य बकरी उद्योग विकास योजना	0.01
106	07	2039—1—6734—विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला	0.01
107	26	2205—103—101—2832—फोटोग्राफिक सैल	0.01

परिशिष्ट-4.1
 (संदर्भ: कंडिका 4.2, पृष्ठ-66)
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम	2016–17 तक		2017–18		2018–19	
		उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
1	2202—सामान्य शिक्षा	1	0.01	0	0.00	7	5.92
2	2203—तकनीकी शिक्षा	0	0.00	12	54.07	0	0.00
3	2216—आवास	1	*0.00	2	119.58	17	1,927.97
4	2217—शहरी विकास	0	0.00	5	7.19	75	843.04
5	2230—श्रम एवं रोजगार	0	0.00	0	0.00	2	1.52
6	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	0	0.00	8	0.8	5	0.53
7	2250—अन्य सामाजिक सेवाएँ	0	0.00	1	6	0	0.00
8	2401—फसल—कृषि कर्म	0	0.00	3	4.32	2	1.61
9	2402—भूमि एवं जल संरक्षण	0	0.00	0	0.00	1	4.36
10	2403—पशुपालन	0	0.00	4	1.69	0	0.00
11	2501—ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	1	9.72	0	0.00
12	2702—लघु सिंचाई	0	0.00	0	0.00	1	0.01
13	2851—ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	11	9.08
14	3275—अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	9	25.83	11	37.60
15	3604—स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	30	48.24	0	0.00	47	661.77
योग		32	48.25	45	229.20	179	3493.41

*उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि ₹19,000.00

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.3, पृष्ठ-68)

31 जनवरी 2020 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017–18		01 0.01
2045	वस्तु तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2017–18		01 *0.00
2054	खजाना तथा प्रशासन	2019–20		01 **0.00
2202	सामान्य शिक्षा	2019–20		01 0.03
2203	तकनीकी शिक्षा	2019–20		02 6.35
2230	श्रम तथा रोजगार	2018–19		01 @0.00
		2019–20		07 3.86
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017–18		16 0.21
		2018–19		65 0.83
		2019–20		102 1.02
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2018–19		05 0.02
2401	फसल-कृषि कर्म	2018–19		09 0.11
		2019–20		49 1.68
2403	पशुपालन	2018–19		02 0.01
		2019–20		03 0.01
2405	मछली पालन	2018–19		09 0.09
		2019–20		15 0.35
2406	वन एवं वन्य प्राणी	2018–19		01 0.01
		2019–20		02 #0.00
2425	सहकारिता	2019–20		05 184.26
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2019–20		01 2.42
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2018–19		01 \$0.00
2701	मध्यम सिंचाई	2017–18		01 %0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2018–19		01 ^0.00
		2019–20		05 0.12
2852	उद्योग	2018–19		02 0.07
		2019–20		07 0.12
योग			315	201.59

*वि.आ. राशि ₹17,91,000, ** वि.आ. राशि ₹9,790.00, @ वि.आ. राशि ₹500.00, # वि.आ. राशि ₹16,600.00,
£ वि.आ. राशि ₹29,227, % ₹4,190 और ^ वि.आ. राशि ₹9,790.00.

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.9, पृष्ठ-74)

लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल प्राप्तियां	वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियों	कुल प्राप्तियों का लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0023	होटल प्रप्ति कर	0.63	0.33	52.38
2	0051	लोक सेवा आयोग	8.23	5.11	62.09
3	0055	पुलिस	21.55	14.68	68.12
4	0056	जेल	8.06	5.40	67.00
5	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	5.97	5.43	90.95
6	0059	लोक निर्माण कार्य	45.98	44.28	96.30
7	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.03	100.00
8	0217	शहरी विकास	53.65	53.68	100.06
9	0220	सूचना तथा प्रसार	0.55	0.55	100.00
10	0235	सामाजिक सुरक्षा तथां कल्याण	2.61	2.61	100.00
11	0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	1.62	1.37	84.57
12	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.27	1.25	98.43
13	0702	लघु सिंचाई	287.54	306.12	106.46
14	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	6.18	3.30	53.40
15	0852	उद्योग	6.41	6.49	101.25
योग			450.28	450.63	

परिशिष्ट: 4.4

(संदर्भ: कंडिका 4.9, पृष्ठ 74)

लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल व्यय	वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य शीर्ष-800—अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय.	मुख्य शीर्ष-800—अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय का प्रतिशत
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.24	0.24	100.00
2.	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	166.77	128.41	77.00
3.	3275	अन्य संचार सेवाएँ	71.39	71.39	100.00
4.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.62	2.62	100.00
5.	4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.19	1.69	52.98
6.	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	387.39	251.41	64.90
7.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	58.28	41.88	71.86
8.	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	142.09	100.00	70.38
9.	5055	सड़क यातायात पर पूंजीगत परिव्यय	6.00	6.00	100.00
योग			837.97	603.64	737.12

परिशिष्ट: 4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.14, पृष्ठ-79)

राज्य सरकार द्वारा 01 अक्टूबर 2020 के अनुसार लंबित लेखे वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवेश
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक उपक्रमों का नाम	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुये हैं	लंबित लेखों की अवधि	वर्ष के दौरान लंबित लेखे में राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा प्रत्याभूति			
				पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति	कुल
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	2018–19	2019–20	0.00	29.21	0.00	29.21
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018–19	2019–20	181.75	4,651.13	3,255.00	8,087.88
3.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2018–19	2019–20	0.00	4,135.60	1,000.00	5,135.60
4.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2018–19	2019–20	0.00	1.00	429.30	430.30
5.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2019–20	0.00	152.97	0.00	152.97
6.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम	2018–19	2019–20	0.00	8.39	0.00	8.39
7.	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	2018–19	2019–20	0.00	0.55	0.00	0.55
8.	पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2018–19	2019–20	39.85	3.25	0.00	43.10
9.	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2019–20	94.52	0.00	0.00	94.52
10.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड	2018–19	2019–20	0.00	103.78	3,427.28	3,531.06
11.	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएफएस सहित)	2018–19	2019–20	0.00	43.50	0.00	43.50
12.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015–16	2016–17 से 2019–20	28.63	0.00	0.00	28.63
13.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015–16	2016–17 से 2019–20	0.00	13.00	0.00	13.00
14.	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016–17	2017–18 से 2019–20	12.00	0.00	0.00	12.00
योग				356.75	9,142.38	8,111.58	17,610.71

परिशिष्ट: 4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.80	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	1	7.26	3	11.81	7	19.26
5	तकनीकी शिक्षा	6	2.31	0	0.00	7	50.30	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.20	14	16.70	21	17.98
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
8	विद्यालय शिक्षा	21	12.93	19	156.26	19	67.10	59	236.29
9	पुलिस	35	6.56	5	19.45	193	31.11	233	57.12
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.85	13	1.45
11	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
12	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	172	13.73	181	15.63
13	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
14	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
15	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.18	0	0.00	2	0.22
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
17	विधि एवं विधायी विभाग	8	0.39	2	8.83	1	0.07	11	9.29
18	श्रम एवं रोजगार	10	3.90	0	0.00	4	0.75	14	4.65
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.08	3	0.15	4	0.23
20	फसल-कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	5	0.55	7	3.77
21	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	6	1.11	9	34.84	4	9.91	19	45.86
23	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1	5.71	0	0.00	952	941.01	953	946.72
24	लोक कल्याण विभाग	2	0.24	0	0.00	476	10,269.69	478	10,269.93
25	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0.00	16	550.18	23	551.43
26	वित्तीय एवं सांखियिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
27	समाहर्ता कार्यालय	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
28	खनन एवं धातु-कर्म उपकरण विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
30	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
31	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	4	1.06	4	1.06
योग		138	55.30	70	540.33	1,904	11,977.91	2,112	12,573.54

परिशिष्ट: 4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)

31 मार्च 2020 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

क्रमांक संख्या	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	3 (0.08)	4 (2.14)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.13)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	1 (0.20)	2 (0.88)	1 (0.16)	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	—	—	3 (7.33)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.26)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.15)	3 (46.79)	8 (5.42)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	—	2 (0.75)	3 (1.46)	4 (12.67)	10 (2.89)	21 (17.98)
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)—	—	—	—	2 (1.00)
8	विद्यालय शिक्षा	5 (0.28)	5 (180. 98)	3 (7.14)	7 (22.77)	—	39 (25.12)	59 (236.29)
9	पुलिस	126 (17.85)	57 (5.73)	30 (4.79)	11 (11.32)	3 (1.10)	6 (16.33)	233 (57.12)
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.45)	13 (1.45)
11	भू-राजस्व (तहसील)	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
12	पशु चिकित्सा सेवाएँ	50 (3.80)	51 (5.55)	62 (3.40)	13 (2.19)	—	5 (0.69)	181 (15.63)
13	सहकारिता	—	—	—	—	—	1 (96.26)	1 (96.26)
14	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	—	3 (3.81)	3 (3.81)
15	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
17	विधि एवं विधायी विभाग	6 (0.36)	2 (0.00)	1 (1.04)	1 (0.10)	1 (7.79)	—	11 (9.29)
18	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	2 (0.50)	—	5 (2.71)	—	5 (0.42)	14 (4.65)
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	—	2 (0.12)	—	2 (0.11)	4 (0.23)
20	फसल-कृषि कर्म	—	3 (0.16)	—	4 (3.61)	—	—	7 (3.77)
21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	—	12 (3.10)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.00)	2 (9.90)	—	1 (30.75)	5 (2.27)	10 (2.94)	19 (45.86)
23	वानिकी तथा वन्य प्राणि	29 (21.76)	35 (82.27)	50 (98.73)	109 (144.37)	206 (411.77)	524 (187.82)	953 (946.72)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	लोक कल्याण विभाग	15 (564.32)	338 (8,769.39)	83 (807.27)	42 (128.95)	—	—	478 (10,269.93)
25	जल संसाधन विभाग	9 (358.97)	5 (6.00)	9 (186.46)	—	—	—	23 (551.43)
26	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
27	समाहर्ता का कार्यालय	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
28	खनन एवं धातु-कर्म उपकरण विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	—	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
31	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	4 (1.06)	—	—	—	—	—	4 (1.06)
योग		258 (971.03)	510 (9,113.46)	262 (1151.58)	203 (351.93)	222 (447.66)	657 (537.87)	2,112 (12,573.53)

परिशिष्ट: 4.8
 (संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)
वर्ष 2019–20 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली

(राशि ₹ में)

क्रमांक सं०	वसूली प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रकार गबन/हानि/चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	68	2051	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग	हानि	2005	3,16,000	3,16,000
2.	68 अ	2401	कृषि	हानि	2016	2,880	2,880
3.	67	2701	जल संसाधन विभाग	हानि	2012	3,540	3,540
4.	89	2055	पुलिस	हानि	2018	6,855	6,855
5.	95	2055		हानि	2019	27,581	27,581
6.	60	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणि	हानि	1990	5,1844	4,985
7.	61	2406		हानि	1994	23,340	23,340
8.	62	2406		हानि	1999	52,533	52,533
9.	63	2406		हानि	1992	5,309	5,309
10.	64	2406		हानि	1992	56,757	56,757
11.	65	2406		हानि	1992	16,540	16,540
12.	66	2406		हानि	1994	6,392	6,392
13.	69	2406		हानि	2018	21,62	21,62
14.	70	2406		हानि	2017	7,145	7,145
15.	71	2406		हानि	2018	2,301	2,301
16.	72	2406		हानि	2017	1,150	1,150
17.	73	2406		हानि	2017	2,517	2,517
18.	74	2406		हानि	2017	7,638	7,638
19.	75	2406		हानि	1996	3,100	3,100
20.	76	2406		हानि	1999	2,635	2,635
21.	77	2406		हानि	2018	4,192	4,192
22.	78	2406		हानि	1996	3,631	3,631
23.	79	2406		हानि	2017	2,481	2,481
24.	80	2406		हानि	2017	2,682	2,682
25.	81	2406		हानि	2018	13,503	13,503
26.	82	2406		हानि	2018	3,808	3,808
27.	83	2406		हानि	2017	10,992	10,992
28.	84	2406		हानि	2018	2,265	2,265
29.	85	2406		हानि	2017	3,651	3,651
30.	86	2406		हानि	2018	1,732	1,732
31.	87	2406		हानि	2017	26,036	26,036
32.	88	2406		हानि	2017	2,532	2,532
33.	90	2406		हानि	2019	2,050	2,050
34.	91	2406		हानि	2019	61,336	61,336
35.	92	2406		हानि	2019	3,600	3,600
36.	93	2406		हानि	2019	21,346	21,346
37.	94	2406		हानि	2019	74,845	74,845
38.	96	2406		हानि	2019	21,346	21,346
39.	97	2406		हानि	2019	3,600	3,600
40.	98	2406		हानि	2019	61,336	61,336
योग						8,98,042	8,78,324

